Jharkhand Judicial Service Pre Exam 2014

1. Choose the tense form of the following sentence:I was standing outside the post office.
(a) Present continuous tense
(b) Past continuous tense
(c) Past simple tense
(d) Past Perfect tense

Ans. [b]

2. I am trying to phone here, but I can't
(a) get up
(b) get through
(c) get on
(d) get away

Ans. [d]

3. Which of the following is the sentence withco-ordinating conjunction?
(a) He had my hand test I should fall.
(b) He is slow but he is honest.
(c) Rama will go if Hari goes.
(d) A book is a book although there is nothing in it

Ans. [b]

4. The word which is most similar in meaningto the word Thrashing is
(a) Garbage
(b) Beating
(c) Shouting
(d) Warning

Ans. [b]

5. The group of words which is most similar in meaning to the word 'Vanished' is
(a) Gone missing
(b) Was found
(c) Was killed
(d) Was left behind

Ans. [a]

6. From the following words, the mis-speltword
(a) Relinquish
(b) Illuminant
(c) Exodes
(d) Dependency

Ans. [c]

7. Gynaephobia' stands for
(a) fear of woman
(b) fear of sex
(c) fear of chins
(d) fear of marriage

Ans. [a]

8. The word which is most opposite in meaning to the word 'Random' is
(a) Accidental
(b) Haphazard
(c) Incidental
(d) Deliberate

Ans. [d]

9. Find the odd word out:
(a) Peripheral
(b) Necessary
(c) Fundamental
(d) Essential

Ans. [a]

10. One who walks in sleep is
(a) hyocrite
(b) imposter
(c) somnambulist
(d) sarcastic

Ans. [c]

11. 'Estoppel' has been defined under / 'विबंध' को निम्न के अंतर्गत परिभाषित किया गया है
(a) Section 115 / धारा 115
(b) Section 114 / धारा 114
(c) Section 117 / धारा 117
(d) Section 130 / धारा 130

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **section 116-** Estoppel of tenants and of licensee of person in possession.
2. **Section 117-** Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailee or licensee.
3. **Section 43** promissory Estoppel- (TPA)
3. **Section 120-** Estoppel against denying original validity of instrument.(NI)
4. **Section 121-**Estoppel against denying capacity of payee to indorse.(NI)
5. **Section 123-** Estoppel against denying capacity of payee to indorse.(NI)

Explanation:- Section 115- When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

Note:- This principle is based on the fact that a person cannot speak the opposite.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 116**- किरायेदारों और कब्जे वाले व्यक्ति के लाइसेंसधारी की रोक।

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

2. **धारा 117**- विनिमय बिल स्वीकार करने वाले, जमानतदार या लाइसेंसधारी को रोकना।
3. **धारा 43** प्रॉमिसरी एस्टोपेल- (टीपीए)
3. **धारा 120**- लिखत की मूल वैधता को अस्वीकार करने पर रोक।(एनआई)
4. **धारा 121**-आदाता को पृष्ठांकित करने की क्षमता से इनकार करने पर रोक।(एनआई)
5. **धारा 123**- भुगतानकर्ता को पृष्ठांकित करने की क्षमता से इनकार करने पर रोक।(एनआई)

स्पष्टीकरण:- धारा 115- जब एक व्यक्ति ने, अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सत्य मानने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित या अनुमति दी है, तो न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को किसी भी तरह की अनुमति दी जाएगी। उस बात की सच्चाई को नकारने के लिए अपने और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच वाद या कार्यवाही करना।

नोट:- यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति विपरीत बात नहीं बोल सकता।

12. **The presumption of legitimacy under Section 112 is / धारा 112 के अंतर्गत धर्मजता की उपधारणा है**
(a) presumption of law / कानून की उपधारणा
(b) presumption of fact / तथ्य का उपधारण
(c) mixed presumption of law and fact/ कानून और तथ्य की मिश्रित उपधारणा
(d) None.of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions :-
1. Presumption of fact – Sections 86,87,88,88A,90,90A,113A,114.
2. Presumption of law- Sections 79-85C, 89,105,107,108,111,112,113,113B,114A.
3. Conclusive proof- Section 41,112,113.
4. **Section 113A-** Presumption as to abetment by a married woman.
5. **Section 113B –** Presumption as to dowry death.

Explanation:- Section 112- Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy.—The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within two hundred and eighty days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. तथ्य की उपधारणा – धारा 86,87,88,88ए,90,90ए,113ए,114।
2. कानूनकीउपधारणा-धारा79-85C, 89, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 113B, 114A.
3. निश्चायक सबूत- धारा 41,112,113.
4. **धारा 113ए**- किसी विवाहित महिला द्वारा दुष्प्रेरण के संबंध में उपधारणा।
5. **धारा 113बी** – दहेज हत्या के बारे में उपधारणा।

स्पष्टीकरण:- धारा 112- विवाह के दौरान जन्म, धर्मजता का निश्चायक सबूत- तथ्य यह है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म उसकी मां और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह की निरंतरता के दौरान या उसके विघटन के दो सौ अस्सी दिनों के भीतर हुआ था, मां अविवाहित रहना, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस व्यक्ति का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि विवाह के पक्षकारों के पास किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब वह पैदा हो सकता था।

13. **A witness may, while under examination,refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction or soon afterwards. This provision is provided under / एक साक्षी , परीक्षण के दौरान, लेन-देन के समय या उसके तुरंत बाद स्वयं द्वारा किए गए किसी भी लेखन का हवाला देकर अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकता है। यह प्रावधान के अंतर्गत प्रदान किया गया है**
(a) Section 159 / धारा 159
(b) Section 160 / धारा 160
(c) Section 158 / धारा 158
(d) Section 166 / धारा 166

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **section 160-** Testimony to facts stated in document mentioned in section 159.
2. **Section 161-** Right of adverse party as to writing used to refesh memory.

Explanation:- Section 159- 4 way of refreshing memory
1. Writing made by himself
2. Writing made by other & read by the witness
3. copy of any document, subject to court leave
4. By an expert(with reference to professional Treaties).

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 160**- धारा 159 में उल्लिखित दस्तावेज़ में बताए गए तथ्यों की साक्षी ।
2. **धारा 161**- स्मृति को ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेखन के संबंध में प्रतिकूल पक्ष का अधिकार।

स्पष्टीकरण:- धारा 159- स्मृति ताज़ा करने का 4 उपाय
1. स्वयं द्वारा रचित लेखन
2. दूसरे द्वारा लिखा गया और साक्षी द्वारा पढ़ा गया
3. किसी दस्तावेज़ की प्रति, न्यायालय की अनुमति के अधीन
4. किसी विशेषज्ञ द्वारा (पेशेवर संधियों के संदर्भ में)।

14. **Leading question has been defined under the Indian Evidence Act, 1872 under /. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है**
(a) Section 141 / धारा 141
(b) Section 14 / धारा 14
(c) Section 143 / धारा 143
(d) Section 145 / धारा 145

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **Section 142-** When leading questions cannot be asked.

2. **Section 143-** when they may be asked.
3. **Section 146**- Questions to be asked in cross examination .
4. **Section 149**- Question not to be asked without reasonable grounds.

Explanation:- Section 141- Leading questions. —Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive, is called a leading question.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 142**- जब सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।
2. **धारा 143-** उनसे कब पूछा जा सकता है।
3. **धारा 146-** प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न।
4. **धारा 149**- बिना उचित आधार के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

स्पष्टीकरण:- धारा 141- सूचक प्रश्न —कोई भी प्रश्न जो वह उत्तर सुझाता है जिसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहलाता है।

15. **Under which Section of the Indian Evidence Act, 1872 a public servant shall not be compelled to disclose communication made to him in official confidence? /भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की किस धारा के तहत एक लोक सेवक को आधिकारिक विश्वास में किए गए संचार का खुलासा करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा**

(a) Section 123 / धारा 123
(b) Section 124 / धारा 124
(c) Section 125 / धारा 125
(d) Section 126 / धारा 126

Ans. [b]

Linked Provisions:- Privileged Communications sections **121-131.**

1. **Section 121-** Judges/Magistrate.
2. **Section 122-** During marriage.
3. **Section 123-** unpublished official,126- professional communications,125- commission of offences,Section 129- client,Section 130- title deeds of witness.
4. **Non-Production-** 123,130,131.
5. **Non-Communication-** 121,122,124,125,126.

Explanation:- Section 124- Official communications.—No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, when he considers that the public interests would suffer by the disclosure.

लिंकिंग प्रावधान :- विशेषाधिकार प्राप्त **धारा 121-131.**

1. **धारा 121**- न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट।
2. **धारा 122**- विवाह के दौरान।
3. **धारा 123**- अप्रकाशित आधिकारिक, **126**- पेशेवर संचार, **125**- अपराध करना, धारा **129**- ग्राहक, धारा **130**- गवाह का स्वामित्व विलेख।
4. **गैर-उत्पादन**- 123,130,131.
5. **गैर-संचार**- 121,122,124,125,126.

स्पष्टीकरण: - धारा 124 –शासकीय संसूचनाए - किसी भी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में किए गए संचार का खुलासा करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब वह मानता है कि प्रकटीकरण से लोक हितों की हानि होगी।

16. **A is charged with travelling in a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is / A पर बिना टिकट रेलवे में यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का बोझ है कि उसके पास टिकट था**

(a) on prosecution / अभियोजन पर
(b) on accused / अभियुक्त पर
(C) Neither on prosecution nor on accused / न तो अभियोजन पर और न ही अभियुक्त पर
(d) None of the above /उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [b]

Linked Provisions:-

1. **Section 101-** Burden of proof.
2. **Section 103-** Burden of proof as to particular fact.
3. **Section 104-** Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.

Explanation:- Section 106- Right of private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person.—If in the exercise of the right of private defence against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defence extends to the running of that risk.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा 101**- सबूत का भार।
2. **धारा 103**- विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार।
3. **धारा 104**- साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए तथ्य को साबित करने का भार।

स्पष्टीकरण:- धारा 106- घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम हो। -यदि किसी ऐसे हमले के खिलाफ निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है जो उचित रूप से मौत की आशंका का कारण बनता है, तो बचावकर्ता को इस प्रकार स्थित होना चाहिए वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, उसका निजी बचाव का अधिकार उस जोखिम को चलाने तक फैला हुआ है।

17. **In respect of a certified copy, thirty years old, which fulfills all the conditions laid under Section 90 of the Indian Evidence Act, the court / तीस वर्ष पुरानी प्रमाणित प्रति के संबंध में, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हो, न्यायालय**

(a) shall presume / उपधारणा करेगा
(b) may presume / उपधारणा कर सकते हैं
(c) will not presume / उपधारणा नहीं मानेंगे
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [b]

Linked Provisions:-

1. **Presumption of fact –** Sections 86,87,88,88A,90,90A,113A,114.

2. **Presumption of law**- Sections 79-85C, 89,105,107,108,111,112,113,113B,114A.
3. **Conclusive proof-** Section 41,112,113.
4. **Section 90A-** Presumption as to electronic records five years old.
5. **Section 107-** Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years.
6. **Section 108-** Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years.

Explanation:- Section 90- Presumption as to documents thirty years old.—Where any document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the signature and every other part of such document, which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested.

लिंकिंग प्रावधान :

1. **तथ्य की उपधारणा** – धारा 86,87,88,88ए,90,90ए,113ए,114।
2. **कानून की उपधारणा-** धारा 79-85C, 89, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 113B, 114A.
3. **निश्चायक सबूत**- धारा 41,112,113.
4. **धारा 90ए-** पांच साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में उपधारणा ।
5. **धारा 107-** तीस वर्ष के भीतर जीवित ज्ञात व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार।
6. **धारा 108-** उस व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसके बारे में सात साल से कुछ नहीं सुना गया हो।

स्पष्टीकरण:-धारा 90 तीस वर्ष पुराने दस्तावेज़ों के बारे में उपधारणा--जहां कोई दस्तावेज़, जो तीस वर्ष पुराना बताया जाता है या साबित किया गया है, किसी भी हिरासत से पेश किया जाता है जिसे न्यायालय विशेष मामले में उचित मानता है, तो न्यायालय यह मान सकता है कि हस्ताक्षर और ऐसे प्रत्येक भाग दस्तावेज़, जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होने का तात्पर्य है, उस व्यक्ति की लिखावट में है, और, निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज़ के मामले में, यह उन व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया है जिनके द्वारा इसे निष्पादित और प्रमाणित किया जाना माना जाता है।

18. A certified copy of a registered sale deed produced in evidence / साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति

(a) will be proof of execution of the original and its registration / मूल के निष्पादन और उसके पंजीकरण का प्रमाण होगा

(b) will be proof of execution only / केवल निष्पादन का प्रमाण होगा

(c) will be merely proof of the fact that an original document was registered / केवल इस तथ्य का प्रमाण होगा कि एक मूल दस्तावेज़ पंजीकृत किया गया था

(d) will not prove anything in absence of original / मूल के अभाव में कुछ भी साबित नहीं होगा

Ans. [c]

Linked Provisions:-

1. **Presumption of fact** – Sections 86,87,88,88A,90,90A,113A,114.
2. **Presumption of law**- Sections 79-85C, 89,105,107,108,111,112,113,113B,114A.
3. **Section 63(1)** Secondary evidence
4. **Section 76-** Certified copies of public documents.
5. **Sections 77-** Proof of documents by production of Certified copies.

Explanation:- Section 79:- Presumption as to genuineness of certified copies.—The Court shall presume [to be genuine] every document purporting to be a certificate, certified copy, or other document, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the Central Government or of a State Government, or by any officer [in the State of Jammu and Kashmir] who is duly authorized thereto by the Central Government:

Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf. The Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held, when he signed it, the official character which he claims in such paper.

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **तथ्य की उपधारणा** – धारा 86, 87, 88, 88ए, 90, 90ए, 113ए, 114।
2. **कानूनकीउपधारणा-**धारा79-85C, 89, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 113B, 114A.
3. **धारा 63(1)** द्वितीयक साक्ष्य
4. **धारा 76-** लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
5. **धारा 77-** प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करके दस्तावेजों का प्रमाण।

स्पष्टीकरण:- धारा 79:- प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के बारे में उपधारणा। न्यायालय प्रत्येक दस्तावेज को प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज मानने के लिए असली मान लेगा, जिसे कानून द्वारा किसी के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य घोषित किया गया है। विशिष्ट तथ्य और जो किसी अधिकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, या किसी अधिकारी जम्मू और कश्मीर राज्य में] द्वारा विधिवत प्रमाणित होने का तात्पर्य है जो केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए विधिवत अधिकृत है:

बशर्ते ऐसा दस्तावेज़ मूल रूप से सही रूप में है और उस संबंध में कानून द्वारा निर्देशित तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। न्यायालय यह भी मान लेगा कि कोई भी अधिकारी जिसके द्वारा ऐसे किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जाने या प्रमाणित होने का दावा किया गया है, जब उसने उस पर हस्ताक्षर किया था, तो उसका आधिकारिक चरित्र वही था जिसका वह ऐसे दस्तावेज़ में दावा करता है।

19. Confession of one accused is admissible evidence against co-accused, if they are tried/ एक अभियुक्त की स्वीकारोक्ति सह-अभियुक्तों के विरुद्ध स्वीकार्य साक्ष्य है, यदि उन पर विचारण चलाया जाता है

(a) jointly for the same offence / एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से
(b) jointly for different offences / विभिन्न अपराधों के लिए संयुक्त रूप से
(c) for the same offence but not jointly / एक ही अपराध के लिए लेकिन संयुक्त रूप से नहीं
(d) for different offences and not jointly / अलग-अलग अपराधों के लिए, संयुक्त रूप से नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **Sections 219-** Three offences of same kind within year may be charged together. (CR.P.C)
2. **Section 220-** Trial for more than one offence. (CR.P.C)
3. **Section 223**- Persons may be charged jointly. (CR.P.C)

Case:- Kashmira Singh Vs State of M.P .

Explanation:- Section 30- Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence.—When more persons than one are being tried jointly for the same offence, and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the Court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession.

लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 219**- एक वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के तीन अपराधों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। (सी.आर.पी.सी.)
2. **धारा 220**- एक से अधिक अपराध के लिए विचारण चलाना। (सी.आर.पी.सी.)
3. **धारा 223**- व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है। (सी.आर.पी.सी.)

केस: कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 30- साबित संस्वीकृति पर विचार, जो इसे करने वाले व्यक्ति और अन्य लोगों को एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से प्रभावित करता है। - जब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा रहा हो, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा की गई संस्वीकृति का प्रभाव स्वयं और अन्य लोगों पर पड़ता हो। ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला साबित हो जाता है, तो न्यायालय ऐसे संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ-साथ उस व्यक्ति के खिलाफ भी मान सकता है जो ऐसी संस्वीकृति करता है।

20. For the purpose of proving a registered 'Will it shall be necessary to call / किसी पंजीकृत वसीयत को साबित करने के लिए 'वसीयत' बुलाना आवश्यक होगा

(a) all the attesting witnesses/ सभी साक्ष्यांकित साक्षी
(b) one attesting witness at least / कम से कम एक प्रमाणित साक्षी
(c) one attesting witness and the scriberof the Will / एक प्रमाणित साक्षी और वसीयत का लेखक
(d) one attesting witness and the registering officer / एक प्रमाणित साक्षी और पंजीकरण अधिकारी

Ans. [b]

Linked Provisions:-
1. **Section21**- Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf.
2. **Section 89-** Presumption as to due execution,etc. of documents not produced.

Explanation:- Section 68- Proof of execution of document required by law to be attested.—If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence

Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document, not being a Will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied.]

लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 21**- इन्हें बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से स्वीकारोक्ति का प्रमाण।
2. **धारा 89**- उचित निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

स्पष्टीकरण:- धारा 68- कानून द्वारा सत्यापित किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज के निष्पादन का प्रमाण। - यदि किसी दस्तावेज को कानून द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, तो इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक प्रमाणित साक्षी को इस उद्देश्य के लिए नहीं बुलाया गया हो। यदि कोई साक्ष्य देने वाला साक्षी जीवित है, और न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन है और साक्ष्य देने में सक्षम है, तो अपना निष्पादन साबित करना
परंतु वसीयत नहीं होने वाले किसी दस्तावेज़ के निष्पादन के सबूत में एक प्रमाणित साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया हो, जब तक कि जिस व्यक्ति द्वारा इसे निष्पादित किया जाना बताया जाता है उसके द्वारा इसके निष्पादन को विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

21. In the Evidence Act, the conditions in respect of computer output to be deemed and admissible in evidence as document is contained in / साक्ष्य अधिनियम में, कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में शर्तों को दस्तावेज़ के रूप में साक्ष्य में समझा और स्वीकार्य माना जाएगा।

(a) Section 65(B)(4) / धारा 65(बी)(4)
(b) Section 65(B)(1) / धारा 65(बी)(1)
(c) Section 65(B)(2) / धारा 65(बी)(2)
(d) Section 65(B)(5) /धारा 65(बी)(5)

Ans. [c]

Linked Provisions:- Electronic records- 45A, 47A, 65A, 67A, 73A, 85A-85C, 90A.
1. **Section 45A**- Opinion of examiner of electronic evidence.

Linking Laws
Link Life with Law

: 773 774 6465
www.LinkingLaws.com

Comprehension Detail
All State Judiciary Exam

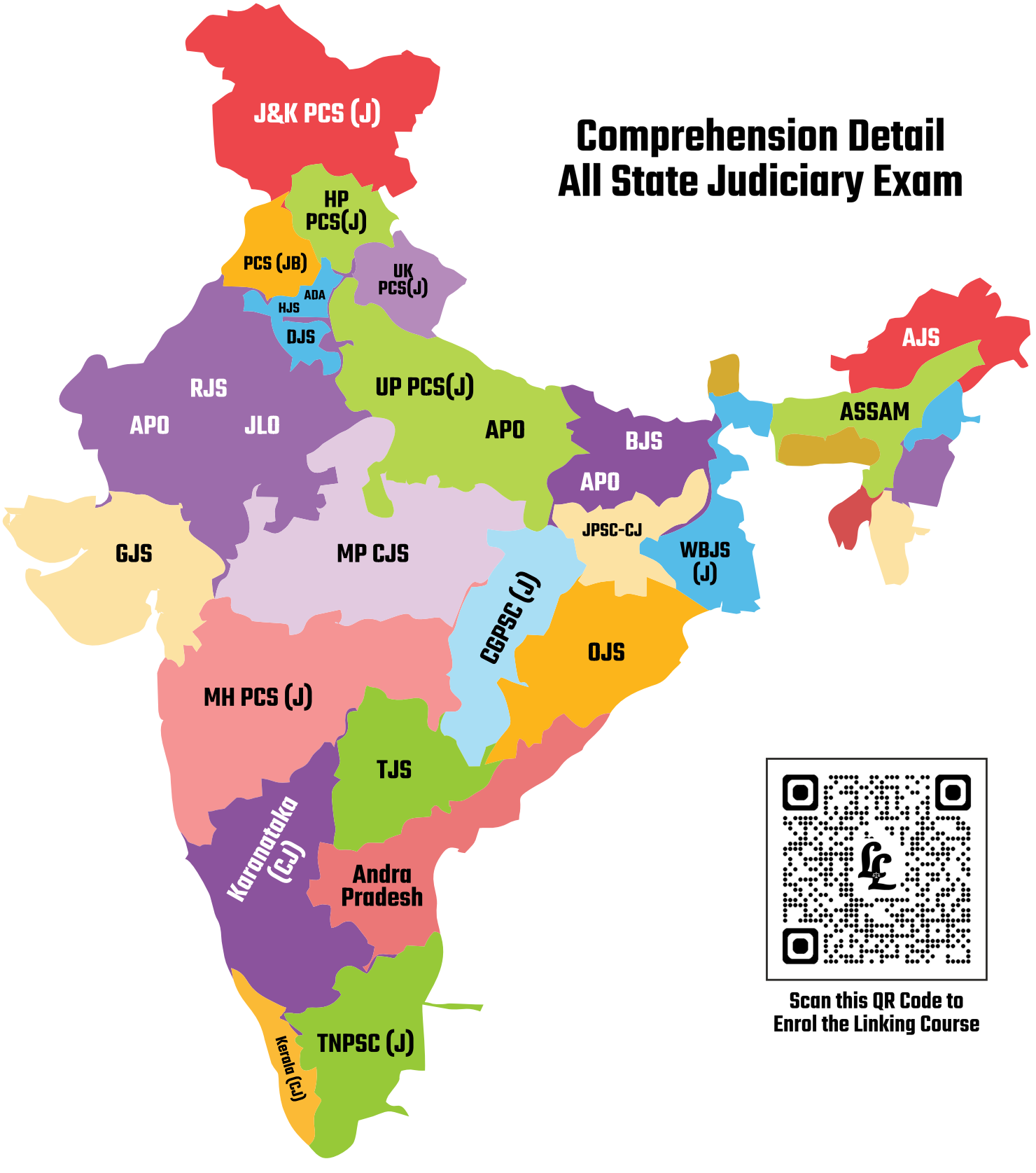

Scan this QR Code to Enrol the Linking Course

Click the state which you want to get all information related judiciary exams.

Scan this QR Code to Linking Laws BIOs

Linking Laws
Linking Laws Tansukh Sir
www.LinkingLaws.com
Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

2. **Section 73A**- Proof as to verification of digital signature .
3. **Section 85C**- Presumption as to electronic signature certificate.
4. **Section 90A**- Presumption as to electronic records five years old.

Explanation:- Section 65B(2)- The conditions referred to in sub-section (1) in respect of a computer output shall be the following, namely:—

(a) regularly to store or process , by the person having lawful control over the use of the computer;
(b) Regularly fed into the computer in the ordinary course.
(c) throughout the material part of the said period, the computer was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents; and
(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer in the ordinary course of the said activities.

लिंकिंग प्रावधान :-इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड- 45ए,47ए,65ए, 67ए, 73ए,85ए-85सी, 90ए।

1. **धारा 45ए**- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय.
2. **धारा 73ए**- डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन का प्रमाण।
3. **धारा 85सी-** इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के बारे में उपधारणा।
4. **धारा 90ए**- पांच साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में अनुमान।

स्पष्टीकरण:- धारा 65बी(2)- कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(ए) कंप्यूटर के उपयोग पर वैध नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से भंडारण या प्रसंस्करण करना;
(बी) सामान्य पाठ्यक्रम में नियमित रूप से कंप्यूटर में फीड किया जाता है।
(सी) उक्त अवधि के पूरे भौतिक भाग में, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था या, यदि नहीं, तो किसी भी अवधि के संबंध में जिसमें यह ठीक से काम नहीं कर रहा था या अवधि के उस हिस्से के दौरान संचालन से बाहर था, ऐसा नहीं था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसकी सामग्री की सटीकता को प्रभावित करने के लिए; और
(डी) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी उक्त गतिविधियों के सामान्य क्रम में कंप्यूटर में फीड की गई ऐसी जानकारी से उत्पन्न होती है।

22. Which of the following is correct in respect of determining the date of birth of A? / A की जन्म तिथि निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) A letter from A's deceased father to a friend, announcing the birth of A is a relevant fact / ए के मृत पिता द्वारा एक मित्र को लिखा गया पत्र, जिसमें ए के जन्म की घोषणा की गई है, एक सुसंगत तथ्य है
(b) A letter from A's deceased father to a friend, annoucing the birth of A is not a relevant fact / ए के मृत पिता द्वारा एक मित्र को लिखा गया पत्र, जिसमें ए के जन्म की घोषणा की गई है, सुसंगत तथ्य नहीं है
(c) a letter from A's deceased father to a friend, announcing the birth of A is not admissible in evidence / ए के मृत पिता का एक मित्र को लिखा पत्र, जिसमें ए के जन्म की घोषणा की गई है, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions:- Section 107- Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years.

Explanation:- letter received by A is Documentary Evidence.

Section 32- Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc ., is relevant- Statements, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead, or who cannot be found, or who has become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, appears to the Court unreasonable, are themselves relevant facts.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 107- तीस वर्ष के भीतर जीवित ज्ञात व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार।

स्पष्टीकरण:- ए द्वारा प्राप्त पत्र दस्तावेजी साक्ष्य है।

धारा 32- ऐसे मामले जिनमें मृत या न मिल पाने वाले व्यक्ति आदि द्वारा सुसंगत तथ्य का कथन सुसंगत है। - किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्यों के लिखित या मौखिक बयान, जो मर चुके हैं, या जो पाया नहीं जा सकता है, या जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या जिसकी उपस्थिति बिना किसी देरी या व्यय के प्राप्त नहीं की जा सकती है, जिसके तहत मामले की परिस्थितियाँ, न्यायालय को अनुचित प्रतीत होती हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य हैं|

23. Which of the following is required to be proved essentially? / निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से सिद्ध करना आवश्यक है?

(a) Judicial notice / न्यायिक नोटिस
(b) Admitted fact / स्वीकृत तथ्य
(c) Confession / स्वीकारोक्ति
(d) Relevant facts / सुसंगत तथ्य

Ans. [d]

Linked Provisions:- Part 2 on proof
Chapter 3- fact which need not be proved (56-58).

1. **Section 56-** Fact Judicially noticeable need not be proved.
2. **Section 58-** Facts admitted need not be proved.

Explanation :- Section 57- Facts of which court must take judicial notice

All laws in force in the territory of India, All public acts passed by Parliament, Article of war for army , Parliament proceeding,accession and the sign manual of the sovereign, all seals of which English courts take judicial notice, public office in any state is notified , State existence title flag , public Holiday festival ,Union

Territories, termination of hostilities, Government members , Rule of land road sea.

लिंकिंग प्रावधान:- प्रमाण पर भाग 2

अध्याय 3- तथ्य जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है (56-58)।

1. **धारा 56**- न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. **धारा 58**- स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण:- धारा 57- जिन तथ्यों पर न्यायालय को न्यायिक अवेक्षा लेना चाहिए

भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून, संसद द्वारा पारित सभी लोक अधिनियम, सेना के लिए युद्ध का अनुच्छेद, संसद की कार्यवाही, परिग्रहण और संप्रभु की संकेत पुस्तिका, सभी मुहरें जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेती हैं, किसी भी राज्य में लोक कार्यालय अधिसूचित किया जाता है, राज्य अस्तित्व शीर्षक ध्वज, सार्वजनिक अवकाश त्यौहार, केंद्र शासित प्रदेश, शत्रुता की समाप्ति, सरकारी सदस्य, भूमि सड़क समुद्र का नियम।

24. Opinions of experts are not relevant / विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है

(a) upon a point of science / विज्ञान के एक बिंदु पर
(b) upon a point of art / कला के एक बिंदु पर
(c) upon a point of domestic law / घरेलू कानून के एक बिंदु पर
(d) as to identity of handwriting / लिखावट की पहचान के संबंध में

Ans. [c]

Linked Provisions:-

1. **Section 293**- Reports of certain Government scientific experts. (CR.P.C)
2. **Section 139(2)-** summon and examine an expert. (CR.P.C)
3. **Section 46-** Facts bearing upon opinions of experts.

Explanation:- Section 45- Opinions of experts.—When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to identity of handwriting [or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to identity of handwriting [or finger impressions are relevant facts.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 293**- कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। (सी.आर.पी.सी.)
2. **धारा 139(2)-** किसी विशेषज्ञ को बुलाना और जांच करना। (सी.आर.पी.सी.)
3. **धारा 46-** विशेषज्ञों की राय पर असर डालने वाले तथ्य।

स्पष्टीकरण: - धारा 45 – विशेषज्ञों की राय – जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के किसी मुद्दे पर, या लिखावट या उंगलियों के निशान की पहचान के बारे में एक राय बनानी होती है, तो उस मुद्दे पर व्यक्तियों की राय ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला में विशेष रूप से कुशल, या लिखावट की पहचान के प्रश्नों में या उंगलियों के निशान सुसंगत तथ्य हैं।

25. Which of the following Sections provide the evidence may be given of facts in Issue? / निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग अंक में तथ्यों का साक्ष्य प्रदान करता है?

(a) Section 3 / धारा 3
(b) Section 4 / धारा 4
(c) Section 5 / धारा 5
(d) Section 6 / धारा 6

Ans. [c]

Linked Provisions:- Chapter 2- The Relevancy of facts (5-55).

1. **Section-** 5- 16
2. **Admission-** 17-20.
3. Statements by persons who cannot be called as witnesses (Section 32 – 33)
4. Statements made under special circumstances (Section 34- 38)
5. How much of a statement is to be proved (Section 39)
6. Judgements of courts of justice when relevant (Section 40-44)
7. Opinions of third persons when relevant (Section 45-51)
8. Character when relevant (Section 52-55).

Explanation:- Section 5- Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others. This section apply to both civil and criminal.

प्रावधान:- अध्याय 2- तथ्यों की सुसंगत (5-55)।

1. **धारा**-5-16
2. **प्रवेश**- 17-20.
3. ऐसे व्यक्तियों के बयान जिन्हें गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता (धारा 32 – 33)
4. विशेष परिस्थितियों में दिए गए कथन (धारा 34- 38)
5. किसी कथन का कितना भाग सिद्ध किया जाना है (धारा 39)
6. सुसंगत होने पर न्याय न्यायालयों के निर्णय (धारा 40-44)
7. सुसंगत होने पर तीसरे व्यक्ति की राय (धारा 45-51)
8. चरित्र जब सुसंगत हो (धारा 52-55)।

स्पष्टीकरण:- धारा 5- किसी भी वाद या कार्यवाही में विवादग्रस्त प्रत्येक तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है, जिन्हें इसके बाद सुसंगत घोषित किया गया है, अन्य का नहीं। यह धारा दीवानी और फौजदारी दोनों पर लागू होती है।

26. Which one of the following is not essential for a consideration? / निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार के लिए आवश्यक नहीं है?

(a) It must be given at the desire of the promisor / यह वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए
(b) Valuable / मूल्यवान
(c) Lawful / वैध
(d) Adequate / पर्याप्त

Ans. [d]

Explanation:- section 2(d)- The Essentials of valid consideration include consideration must be given at

the desire of the promisor, can be provided by the promisee or any other person, and can be in the form of an act, abstinence, or promise.
स्पष्टीकरण:- धारा 2(डी)- वैध प्रतिफल की अनिवार्यताओं में शामिल है प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है, और एक अधिनियम, संयम, या के रूप में हो सकता है। वादा करना।

27. The provisions relating to contingent contract under the Indian Contract Act. 1872 is laid down under / भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत आकस्मिक संविदा से संबंधित प्रावधान। 1872 के अंतर्गत रखा गया है
(a) Sections 31 to 37 / धारा 31 से 37
(b) Sections 32 to 37 / धारा 32 से 37
(c) Sections 31 to 36 / धारा 31 से 36
(d) Sections 30 to 36 / धारा 30 से 36

Ans. [c]

Linked Provisions:- In Indian Contract Act. 1872 total Chapter 11 & chapter 11/1932and 7/1930 are repealed.
1. **Section 31**- Contingent contract" defined.
2. **Section 32**- Enforcement of contracts contingent on an event happening.
3. **Section 33.** Enforcement of contracts contingent on an event not happening.
4. **Section 34**. When event on which contract is contingent to be deemed impossible, if it is the future conduct of a living person.
5. **Section 35**. When contracts become void.
6. **Section 36**. Agreement contingent on impossible events void.

Explanation:- Chapter 3 Contingent contracts (31-36). 'A contingent contract is a contract to do or not to do something, if some event collateral to such contract does or does not happen'.
In simple words, contingent contracts, are the ones where the promisor perform his obligation only when certain conditions are met. The contracts of insurance, indemnity, and guarantee are some examples of contingent contracts.
Illustration:- A contracts to pay to B Rs. 20,000 if B's house is burnt. This is a contingent.
लिंकिंग प्रावधान:- भारतीय संविदा अधिनियम में. 1872 कुल अध्याय 11 और अध्याय 11/1932 और 7/1930 निरस्त किये जाते हैं।
1. **धारा 31**-आकस्मिक संविदा परिभाषित।
2. **धारा 32**- किसी घटना के घटित होने पर निर्भर संविदा का प्रवर्तन।
3. **धारा 33**. किसी घटना के घटित न होने पर निर्भर संविदा का प्रवर्तन।
4. **धारा 34.** जब वह घटना जिस पर संविदा आकस्मिक है, असंभव समझी जाएगी, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भविष्य का आचरण हो।
5. **धारा 35**. जब संविदा शून्य हो जाएं.
6. **धारा 36**. असंभव घटनाओं पर आकस्मिक करार शून्य।

स्पष्टीकरण:-अध्याय 3 समाश्रित संविदा (31-36).
आकस्मिक संविदा कुछ करने या न करने का संविदा है, यदि ऐसे अनुबंध के साथ जुड़ी कोई घटना घटित होती है या नहीं होती है।'
सरल शब्दों में, आकस्मिक संविदा, वे होते हैं जहां वादा करने वाला अपना दायित्व तभी पूरा करता है जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। बीमा, क्षतिपूर्ति और गारंटी के संविदा आकस्मिक के कुछ उदाहरण हैं।
उदाहरण:- A, B को रु. का भुगतान करने का संविदा करता है। यदि बी का घर जल गया तो 20,000 रु. यह एक आकस्मिकता है.

28. The Intimation under Section 59 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 59 के तहत सूचना
(a) must be implied / निहित होना चाहिए
(b) must be expressed / व्यक्त किया जाना चाहिए
(c) may be either expressed or implied / या तो व्यक्त या निहित हो सकता है
(d) none of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

Linked Provisions:- Appropriation of payments (59-61).
1. **Section 60-** Application of payment where debt to be discharged is not indicated.
2. **Section 61-** Application of payment where neither party appropriates.

Explanation:- Section 59- Application of payment where debt to be discharged is indicated.—Where a debtor, owing several distinct debts to one person, makes a payment to him, either with express intimation, or under circumstances implying, that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly.
लिंकिंग प्रावधान:- भुगतान का विनियोजन (59-61).
1. **धारा 60**- भुगतान का आवेदन जहां चुकाया जाने वाला ऋण इंगित नहीं किया गया है।
2. **धारा 61**- भुगतान का आवेदन जहां कोई भी पक्ष विनियोजन नहीं करता।

स्पष्टीकरण: - धारा 59 – भुगतान का आवेदन जहां ऋण का निर्वहन किया जाना इंगित किया गया है। - जहां एक देनदार, एक व्यक्ति के कई अलग-अलग ऋणों का बकाया है, या तो स्पष्ट सूचना के साथ, या ऐसी परिस्थितियों में भुगतान करता है, जिसका अर्थ है कि भुगतान किया गया है। किसी विशेष ऋण के निर्वहन पर लागू होने के लिए, भुगतान, यदि स्वीकार किया जाता है, तो तदनुसार लागू किया जाना चाहिए।

29. A tender in a newspaper is / अखबार में एक टेंडर है
(a) invitation to offer / प्रस्ताव के लिए निमंत्रण
(b) promise / वादा
(c) offer / प्रस्ताव
(d) invitation for acceptance / स्वीकृति के लिए निमंत्रण

Ans. [a]

Linked Provisions:- Section 2(a) Proposal.
Chapter 1 communication,acceptance and revocation of Proposals.
Section (3-9).
Explanation:- A notice in the newspaper inviting tenders is an invitation to proposal.
लिंकिंग प्रावधान:- धारा 2(ए) प्रस्ताव.

अध्याय 1 प्रस्तावों का संचार, स्वीकृति और निरसन।
धारा (3-9).
स्पष्टीकरण:- समाचार पत्र में निविदा आमंत्रण सूचना प्रस्ताव आमंत्रण है।

30. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is / प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक सेट एक दूसरे के लिए प्रतिफल विचारणीय है
(a) an agreement /एक करार
(b) an acceptance / एक स्वीकृति
(c) an offer / पेशकश कर सकते हैं
(d) a contract / एक संविदा

Ans. [a]

Linked Provisions:- void agreement Section (24-30).
1. **Section 26**- Agreement in restraint of marriage .
2. **Section 27**- Agreement in restraint of trade,void
3. **Section 28**- Agreement in restraint of legal proceedings , void.

Explanation:- Section 2 (e)- Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement.
लिंकिंग प्रावधान:- शून्य करार धारा (24-30).
1. **धारा 26**- विवाह में बाधा डालने वाला करार
2. **धारा 27-** व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला करार शून्य।
3. **धारा 28**- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार, शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 2(ई)- प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक सेट एक दूसरे के लिए प्रतिफल बनता है, एक करार है।

31. Aagrecs with B to discover treasure by magic. The agreement is/ जादू द्वारा खजाने की खोज करने के लिए बी के साथ एग्रेक्स करार है
(a) voidable / शून्यकरणीय
(b) void/ शून्य
(C) wrongful /गलत
(d) enforccable /लागू करने योग्य

Ans. [b]

Linked Provisions:- Chapter 4- (37-67)
Performance of reciprocal promises (51-58).
1. **section 2** (e) Agreement
2. **Chapter 2** voidable contracts &void agreement (10-30).
3. **Section 26**- Agreement in restraint of marriage .
4. **Section 27**- Agreement in restraint of trade,void
5. **Section 28-** Agreement in restraint of legal proceedings , void.

Explanation:- Section 56- Agreement to do impossible act.—An agreement to do an act impossible in itself is void. — Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful.
लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 4- (37-67)
पारस्परिक वादों का निष्पादन (51-58)।
1. **धारा 2 (ई) करार**
2. **अध्याय 2** शून्यकरणीय संविदा और शून्य करार(10-30)।
3. **धारा 26**- विवाह में बाधा डालने वाला करार
4. **धारा 27**- व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला करार शून्य।
5. **धारा 28**- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार, शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 56- असंभव कार्य करने का करार —असंभव कार्य करने का करार अपने आप में शून्य है। - संविदा के बाद कार्य करना असंभव या गैरकानूनी हो जाना।

32. Which of the following Sections of the Indian Contract Act, 1872 defines "Contract"? / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा " संविदा " को परिभाषित करती है?
(a) Section 2(h) /धारा 2(एच)
(b) Section 2(1) / धारा 2(1)
(c) Section 2(d)/ धारा 2(डी)
(d) Section 2(a) / धारा 2(ए)

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **Section10-** when agreements are Contracts.
2. **Section 11-** who are competent to contract.
3. **Section 12-** what is a sound mind for the purposes of contracting.

Explanation:- An agreement enforceable by law is a contract; 2(h).
लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा10**- जब करार संविदा होते हैं।
2. **धारा 11-** जो संविदा करने में सक्षम हों।
3. **धारा 12**- संविदा के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ दिमाग क्या है।

स्पष्टीकरण:- कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक करार एक करार है; **2(h).**

33. Which of the following Sections of the Indian Contract Act. 1872 defines "Consideration'? / भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है। 1872 "प्रतिफल " को परिभाषित करता है?
(a) Section 2(a) /धारा 2(ए)
(b) Section 2(b) /धारा 2(बी)
(c) Section 2(c) / धारा 2(सी)
(d) Section 2(d) / धारा 2(डी)

Ans. [d]

Linked Provisions:- Section 8- Acceptance by performing conditions or receiving consideration.
Explanation:- Section 2 (d) When, at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing, something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise.
लिंकिंग प्रावधान:- धारा 8- शर्तों का पालन करके या प्रतिफल प्राप्त करके स्वीकार करना।
स्पष्टीकरण: - धारा 2 (डी) जब वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है या करने से विरत रहता है, या करता है या करने से विरत रहता है, या करने का वादा करता है या करने से विरत रहता है, ऐसा कुछ कार्य या परहेज़ या वचन को वचन का प्रतिफल कहा जाता है।

34. "An agreement without consideration is void" Which Section of the Indian Contract Act, 1872 lays down this provision? /"बिना प्रतिफल के कोई करार शून्य है"

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा इस प्रावधान को निर्धारित करती है?

(a) Section 23 / धारा 23
(b) Section 2(d) / धारा 2(डी)
(C) Section 10 / धारा 10
(d) Section 25(1) / धारा 25(1)

Ans. [d]

Linked Provisions:- Chapter 2 voidable contracts &void agreement (10-30).

1. **Section 26-** Agreement in restraint of marriage .
2. **Section 27-** Agreement in restraint of trade,void.
3. **Section 28**- Agreement in restraint of legal proceedings , void.

Explanation:- Agreement without consideration, void, unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law.An agreement made without consideration is void, unless —An agreement made without consideration is void, unless-
It is expressed in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of documents, and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 2 शून्यकरणीय संविदा और शून्य करार(10-30)।

1. **धारा 26-** विवाह में बाधा डालने वाला करार
2. **धारा 27-** व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला करार शून्य।
3. **धारा 28**- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार, शून्य।

स्पष्टीकरण:- बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है, जब तक कि वह लिखित और पंजीकृत न हो या किए गए किसी कार्य के लिए मुआवजा देने का वादा हो या सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण का भुगतान करने का वादा हो। बिना प्रतिफल के किया गया करार तब तक शून्य है, जब तक कि – कोई करार न हो प्रतिफल के बिना किया गया कार्य शून्य है, जब तक कि- इसे लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है और दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उस समय लागू कानून के तहत पंजीकृत किया जाता है, और एक-दूसरे के निकट संबंध में खड़े पक्षों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण बनाया जाता है।

35. **The nature of an agreement made under 4 the provisions of Section 20 of the Indian Contract Act, 1872 would be /भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 20 के 4 प्रावधानों के तहत किये गये करार की प्रकृति होगी**

(a) valid / एक वैध
(b) void/शून्य
(c) invalid / अमान्य
(d) voidable/ शून्यकरणीय

Ans. [b]

Linked Provisions:- Chapter 2 voidable contracts &void agreement (10-30).

1. **Section 26-** Agreement in restraint of marriage .
2. **Section 27-** Agreement in restraint of trade,void.
3. **Section 28-** Agreement in restraint of legal proceedings , void.
4. **Section 29-** Agreements void for uncertainty.

Explanation:- The **maxim** Ignorantia Facti Excusat which means that the Ignorance of fact excuses. **Section 20-** a contract is said to be void when both the parties to the agreement are under a mistake as to a matter of fact.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 2 शून्यकरणीय संविदा और शून्य करार (10-30)।

1. **धारा 26**- विवाह में बाधा डालने वाला समझौता।
2. **धारा 27**- व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला समझौता शून्य।
3. **धारा 28**- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला समझौता, शून्य।
4. **धारा 29**- संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य।

स्पष्टीकरण :- कहावत इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूसैट जिसका अर्थ है तथ्य की अज्ञानता बहाना। **धारा 20-** एक संविदा को तब शून्य कहा जाता है जब करार के दोनों पक्ष तथ्य के मामले में गलती पर हों।

36. **"The Itability of the surety is coextensive with the principal debtor". It has been provided under/ "उपनिधान की पात्रता मूल ऋणी के साथ सह-विस्तारित है"। इसके तहत प्रावधान किया गया है**

(a) Section 126 / धारा 126
(b) Section 127 / धारा 127
(c) Section 128 / धारा 128
(d) Section 130/ धारा 130

Ans. [c]

Linked Provisions:- Chapter 8 of indemnity and guarantee (124-147).

1. **Section 131-** Revocation of continuing guarantee by surety's death.
2. **Section 140-** Rights of surety on payment or performance.
3. **Section 141-** Surety's right to benefit of creditor's securities.
4. **Section 145-** Implied promise to indemnity surety.

Explanation:- Section 128- Surety's liability.—The liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor, unless it is otherwise provided by the contract.

लिंकिंग प्रावधान:- क्षतिपूर्ति एवं गारंटी का **अध्याय 8 (124-147).**

1. **धारा 131**- ज़मानतदार की मृत्यु के कारण जारी गारंटी का निरसन।
2. **धारा 140**- भुगतान या प्रदर्शन पर ज़मानत का अधिकार।
3. **धारा 141**- लेनदार की प्रतिभूतियों का लाभ पाने का ज़मानतदार का अधिकार।
4. **धारा 145**- क्षतिपूर्ति जमानत के लिए निहित वचन।

स्पष्टीकरण:- धारा 128- प्रतिभू का दायित्व.—प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के साथ सह-व्यापक है, जब तक कि यह अन्यथा संविदा द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो।

37. **'An agreement to do an act impossible" 1g provided in the Indian contract Act under / असंभव कार्य करने के लिए एक करार 1g के तहत भारतीय संविदा अधिनियम में प्रावधान किया गया है**

(a) Section 39 / धारा 39
(b) Section 50 / धारा 50

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

(c) Section 56 / धारा 56
(d) Section 55 / धारा 55

Ans. [c]

Linked Provisions:- Chapter 4- (37-67)
Performance of reciprocal promises (51-58).
1. **Section 36**- Agreement contingent on impossible event void.
2. **Section 29**- Agreements void for uncertainty.
3. **Section 30**- Agreements by way of wager, void.

Explanation:- Section 56- Agreement to do impossible act.—An agreement to do an act impossible in itself is void. Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful.—A contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or, by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful.
Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful.—Where one person has promised to do something which he knew, or, with reasonable diligence, might have known, and which the promisee did not know, to be impossible or unlawful, such promisor must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 4- (37-67)
पारस्परिक वादों का निष्पादन (51-58)।
1. **धारा 36**- असंभव घटना पर आकस्मिक करार शून्य।
2. **धारा 29-** संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य।
3. **धारा 30**- दांव के माध्यम से किया गया करार शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 56- असंभव कार्य करने का करार —असंभव कार्य करने का करार अपने आप में शून्य है। कार्य करने का संविदा बाद में असंभव या गैरकानूनी हो जाता है।—किसी कार्य को करने का संविदा , जो संविदा करने के बाद असंभव हो जाता है, या, किसी घटना के कारण, जिसे वादा करने वाला रोक नहीं सका, गैरकानूनी हो जाता है, उस कार्य को करने पर वह संविदा शून्य हो जाता है। असंभव या गैरकानूनी.
असंभव या गैरकानूनी माने जाने वाले कार्य के गैर-निष्पादन के माध्यम से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा। - जहां एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा करने का वादा किया है जिसे वह जानता था, या, उचित परिश्रम के साथ, जानता होगा, और जिसे वादा करने वाला नहीं जानता था, असंभव होना या ग़ैरक़ानूनी, ऐसे वचनदाता को ऐसे वचनदाता को किसी भी नुकसान के लिए मुआवज़ा देना होगा जो वचनदाता को वादा पूरा न करने के कारण हुआ हो।

38. A contract of pledge is a contract of / गिरवी का संविदा का एक संविदा है
(a) indemnity/ क्षतिपूर्ति
(b) guarantee / गारंटी
(c) bailment / उपनिधान
(d) agency /अभिकरण

Ans. [c]

Linked Provisions:- Bailment of pledges Section (172-181).
1. **Section 173-** Pawnee's right of retainer.
2. **Section 175-** Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred.
3. **Section 177-** defaulting pawnor's right to redeem.
4. **Section 178-** Pledge by mercantile agent

Explanation:- Contract of pledge is a subset of a contract of bailment. Here, the goods bailed are kept as a security for a debt or a performance of a promise. Pledge in Section 172 "The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called 'pledge'.

लिंकिंग प्रावधान:- गिरविरुपी की उपनिधान धारा (172-181)।
1. **धारा 173**- गिरवी रखे गए व्यक्ति का अनुचर का अधिकार।
2. **धारा 175**- किए गए असाधारण खर्चों के संबंध में गिरवी रखने वाले का अधिकार।
3. **धारा 177**- दोषी गिरवीकर्ता का छुड़ाने का अधिकार।
4. **धारा 178**- व्यापारिक एजेंट द्वारा गिरवी रखना

स्पष्टीकरण:- गिरवी का संविदा निक्षेप के संविदा का एक उपसमुच्चय है। यहां, उपनिधान पर दिए गए सामान को ऋण की सुरक्षा या वादे के प्रदर्शन के रूप में रखा जाता है। धारा 172 में गिरवी "किसी ऋण के भुगतान या किसी वादे के पालन के लिए सुरक्षा के रूप में माल की उपनिधान को 'गिरवी 'कहा जाता है।

39. In kidnapping, consent of minor is / अपहरण में नाबालिग की सहमति होती है
(a) wholly immaterial / पूरी तरह से सारहीन
(b) partly immaterial / आंशिक रूप से सारहीन
(c) wholly material / पूरी तरह से सामग्री
(d) partly material / आंशिक रूप से सामग्री

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **Section 359**- kidnapping.
2. **Section 360**- kidnapping from India.
3. **Section 361**- kidnapping from lawful guardianship.

Explanation:- If any individual takes away a minor person, or a person of unsound mind by the motive of keeping him away from his guardian, he is said to commit kidnapping. The consent of minor is wholly immaterial and won't be taken into consideration.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 359-** अपहरण.(IPC)
2. **धारा 360**- भारत से अपहरण।(IPC)
3. **धारा 361**- वैध संरक्षकता से अपहरण।(IPC)

स्पष्टीकरण:- यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग व्यक्ति या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को उसके अभिभावक से दूर रखने के उद्देश्य से ले जाता है, तो उसे अपहरण करना कहा जाता है। नाबालिग की सहमति पूरी तरह से महत्वहीन है और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

40. A, who deals only in coconut oil, enters into anagreement with B to sell 50 tons of oil. The agreement is / A, जो केवल नारियल तेल का व्यापार करता है, 50 टन तेल बेचने के लिए B के साथ करार करता है। करार है
(a) enforceable by law / कानून द्वारा लागू करने योग्य

(b) void due to uncertainty / अनिश्चितता के कारण शून्य
(c) voidable due to uncertainty / अनिश्चितता के कारण शून्यकरणीय
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions:- Chapter 2 (10-30).
1. **Section 26-** Agreement in restraint of marriage
2. **Section 27-** Agreement in restraint of trade,void.
3. **Section 28-** Agreement in restraint of legal proceedings , void.

Explanation:- Section 29- Agreements void for uncertainty.—Agreements, the meaning of which is not certain, or capable of being made certain, are void. —Agreements, the meaning of which is not certain, or capable of being made certain, are void."

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 2 (10-30).
1. **धारा 26**- विवाह में बाधा डालने वाला करार
2. **धारा 27**- व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाला करार शून्य।
3. **धारा 28**- कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने वाला करार, शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 29- करार अनिश्चितता के कारण शून्य हैं।—ऐसे करार , जिनका अर्थ निश्चित नहीं है, या निश्चित किए जाने योग्य नहीं है, शून्य हैं। -ऐसे करार , जिनका अर्थ निश्चित नहीं है, या सुनिश्चित किए जाने योग्य नहीं है, शून्य हैं।"

41. B Is wife of A. A during lifetime of B and with her consent makes an agreement with C to marry her (C). The agreement is / बी, ए की पत्नी है। बी के जीवनकाल के दौरान ए और उसकी सहमति से सी के साथ उससे शादी करने का करार करती है (सी)। करार है

(a) void / शून्य
(b) voidable / शून्यकरणीय
(c) valid / वैध
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions:- Chapter 4- (37-67)
Performance of reciprocal promises (51-58).
1. **Section 36-** Agreement contingent on impossible event void.
2. **Section 29**- Agreements void for uncertainty.
3. **Section 30-** Agreements by way of wager, void.

Explanation:- Section 56- Agreement to do impossible act.—An agreement to do an act impossible in itself is void. Contract to do act afterwards becoming impossible or unlawful.—A contract to do an act which, after the contract is made, becomes impossible, or, by reason of some event which the promisor could not prevent, unlawful, becomes void when the act becomes impossible or unlawful.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 4- (37-67)
पारस्परिक वादों का निष्पादन (51-58)।
1. **धारा 36**- असंभव घटना पर आकस्मिक करार शून्य।
2. **धारा 29**- संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य।
3. **धारा 30**- दांव के माध्यम से किया गया करार शून्य।

स्पष्टीकरण:- धारा 56- असंभव कार्य करने का करार —असंभव कार्य करने का करार अपने आप में शून्य है। कार्य करने का संविदा बाद में असंभव या गैरकानूनी हो जाता है।—किसी कार्य को करने का संविदा , जो संविदा करने के बाद असंभव हो जाता है, या, किसी घटना के कारण, जिसे वादा करने वाला रोक नहीं सका, गैरकानूनी हो जाता है, उस कार्य को करने पर असंभव या गैरकानूनी वह संविदा शून्य हो जाता है।

42. A finds the key of B's house door, which B had lost, and commits house trespass by entering B's house, having opened the door with that key. A has committed the offence of /ए को बी के घर के दरवाजे की चाबी मिल जाती है, जो बी खो गई थी, और उस चाबी से दरवाजा खोलकर बी के घर में प्रवेश करके घर में अतिक्रमण करता है। क ने अपराध किया है

(a) lurking house trespass / प्रच्छन्न गृह अतिचार
(b) criminal misappropriation / आपराधिक दुर्विनियोग
(c) attempt to theft / चोरी का प्रयास
(d) house breaking / गृह भेदन

Ans. [d]

Linked Provisions:- Criminal Trespass under **Chapter 17** (441 to 462).
1. **Section 446-** House breaking by night.
2. **Section 453-** Punishment for house trespass or house breaking.
3. **Section 455-** Lurking house trespass or house breaking after preparation for hurt, assault or wrongful restraint.
4. **Section 456-** Punishment for house trespass or house breaking by night.

Explanation:- Section 445- A person is said to commit "house-breaking" who commits house-trespass if he effects his entrance into the house or any part of it in any of the six ways hereinafter de-scribed; or if, being in the house or any part of it for the purpose of committing an offence, or, having committed an offence therein, he quits the house or any part of it in any of such six ways, that is to say—

(First) — If he enters or quits through a passage by himself

(Secondly) —If he enters or quits through any passage not intended by any person, other than himself or an abettor of the offence, for human entrance;

(Thirdly)— If he enters or quits through any passage which he or any abettor of the house-trespass has opened, in order to the committing of the house-trespass

(Fourthly) — If he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house-trespass,

(Fifthly)— If he effects his entrance or departure by using criminal force or committing an assault or by threatening any person with assault.

(Sixthly)— If he enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure, and to have been unfastened by himself or by an abettor of the house-trespass.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 17 (441 से 462) के तहत आपराधिक अतिचार।

1. **धारा 446**- रात में गृह भेदन करना।
2. **धारा 453**- गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए सजा।
3. **धारा 455**- चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद गुप्त रूप से घर में अतिक्रमण करना या गृह भेदन करना।
4. **धारा 456**- रात के समय गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए सजा।

स्पष्टीकरण:- धारा 445- एक व्यक्ति को "गृह-भेदन" करने वाला कहा जाता है, जो गृह-अतिचार करता है यदि वह इसके बाद वर्णित छह तरीकों में से किसी एक में घर या उसके किसी हिस्से में प्रवेश करता है; या यदि, कोई अपराध करने के प्रयोजन से घर या उसके किसी भाग में रहते हुए, या उसमें कोई अपराध करने के बाद, वह ऐसे छह तरीकों में से किसी एक में घर या उसके किसी भाग को छोड़ देता है, अर्थात्-

(पहला) – यदि वह स्वयं किसी मार्ग से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है

(दूसरा) – यदि वह किसी ऐसे मार्ग से प्रवेश करता है या छोड़ता है जो उसके या अपराध के दुष्प्रेरक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए अभिप्रेत नहीं है;

(तीसरा) – यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसे उसने या गृह-अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह-अतिचार करने के लिए खोला है

(चौथा) – यदि वह गृह-अतिचार करने के लिए कोई ताला खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है,

(पांचवां) – यदि वह आपराधिक बल का प्रयोग करके या हमला करके या किसी व्यक्ति को हमले की धमकी देकर अपना प्रवेश या प्रस्थान करता है।

(छठा) – यदि वह किसी ऐसे मार्ग से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि उसे ऐसे प्रवेश या प्रस्थान के विरुद्ध बांधा गया है, और उसे स्वयं या गृह-अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है।

43. What punishment may be awarded to the person whose act is covered under general exceptions of Chapter IV of IPC? / उस व्यक्ति को क्या सज़ा दी जा सकती है जिसका कृत्य आईपीसी के अध्याय IV के सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है?

(a) No punishment / कोई सज़ा नहीं
(b) Half of the punishment prescribed for that offence / उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का आधा
(c) One fourth of the punishment prescribed for that offence / उस अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक चौथाई
(d) Depends upon discretion of the court / न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है

Ans. [a]

Linked Provisions:- Chapter 4 General Provisions (76-106).

Explanation:- All acts, done in good faith and for the benefit of the consenting party, which may cause any harm except causing death intentionally.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 4 सामान्य प्रावधान (76-106)।

स्पष्टीकरण:- अच्छे विश्वास में और सहमति देने वाले पक्ष के लाभ के लिए किए गए सभी कार्य, जो जानबूझकर मौत का कारण बनने के अलावा कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं।

44. In which of the following landmark cases, a three-judge bench of the Supreme Court prescribed four-point test relating to Section 300, thirdly, of IPC? / निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 300 से संबंधित चार-बिंदु परीक्षण निर्धारित किया

(a) Virsa Singh v. State of Punjab, AIR 1958 SC 465 / विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 465
(b) States of UP. Ramesh Prasad Mishra (1996) 10 SCC 360/ यूपी के राज्य। रमेश प्रसाद मिश्र (1996) 10 एससीसी 360
(c) K.M. Nanavati V. State of Maharashtra, AIR 1962 SC 605 / के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1962 एससी 605
(d) Nehru @ Jawahar v. State, AIR 2008 SC 2574 / नेहरू @ जवाहर बनाम राज्य, एआईआर 2008 एससी 2574

Ans. [a]

Linked Provisions:-

1. **Section 300-** Murder
2. **Section 302-** Punishment of murder
3. **Section 323-** Punishment for voluntarily causing hurt.
4. **Section 149**- Every member of unlawful assembly with common object.

Explanation:- The court had inconsistently read clause 3 of Section 300 and the intent being set aside was linked to the second part of the following service: If one intends to injure, which in the normal course of nature is sufficient to cause death, then the intention is to kill and in that event, the 'third' shall be unnecessary as the Act would fall under the first part of the Section namely – "If the act by which death has taken place is the cause of death."

But later on, the High Court accepted it as a fact after the Post Mortem report of the deceased.

In the end, The Honorable Supreme Court, by observing all facts, concluded that the accused had the intention to cause death that he used so much force that it penetrated the bowels and the three intestine coils came out of the wound.

Therefore, the Court dismissed the appeal, and the accused person was held for a death sentence under section 302 of IPC.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 300**- हत्या
2. **धारा 302**- हत्या की सजा

3. **धारा 323**- स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा।
4. **धारा 149**- समान उद्देश्य वाले गैरकानूनी जमाव का प्रत्येक सदस्य।

स्पष्टीकरण:- न्यायालय ने **धारा 300** के खंड 3 को असंगत रूप से पढ़ा था और जिस इरादे को अलग रखा गया था वह निम्नलिखित सेवा के दूसरे भाग से जुड़ा था:

यदि कोई चोट पहुंचाने का इरादा रखता है, जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो इरादा हत्या करना है और उस स्थिति में, 'तीसरा' अनावश्यक होगा क्योंकि अधिनियम धारा के पहले भाग के अंतर्गत आएगा। – "यदि जिस कार्य से मृत्यु हुई है वही मृत्यु का कारण है।"

लेकिन बाद में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने इसे सच मान लिया.

अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों का अवलोकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु कारित करने का था इसलिए उसने इतना बल प्रयोग किया कि बल आंतों में घुस गया और आंत की तीन कुंडलियां घाव से बाहर आ गईं।

इसलिए, अदालत ने अपील खारिज कर दी, और आरोपी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा दी गई।

45. Inducing a person with dish Intention to part with his par putting him in fear of physical amounts to an offence or icon with dishonest it with his property by of physical Injury / किसी व्यक्ति को उसके साथी से अलग होने के इरादे से उत्प्रेरित करना, उसे शारीरिक भय में डालना एक अपराध के समान है या शारीरिक क्षति के द्वारा उसकी संपत्ति के साथ बेईमानी करना दर्शाता है।

(a) theft / चोरी
(b) criminal misappropriation / आपराधिक दुर्विनियोग
(c) extortion /उददापन
(d) criminal intimidation / आपराधिक न्यासभंग

Ans. [c]

Linked Provisions:- Section (383-389) Extortion.

1. **Section 384-** punishment for extortion
2. **Section 385-** Putting person in fear of injury in order to commit extortion.
3. **Section386-** Extortion by putting a person in fear of death or grievous hurt.

Explanation:- Section 383- Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person, or to any other, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security, or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security, commits "extortion".

लिंकिंग प्रावधान:- धारा (383-389) उददापन

1. **धारा 384-** उददापन के लिए सजा
2. **धारा 385**- उददापन करने के लिए व्यक्ति को चोट के भय में डालना।
3. **धारा 386**- किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उददापन करना।

स्पष्टीकरण:- धारा 383- जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य को चोट लगने के डर में डालता है, और इस तरह बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा, या हस्ताक्षरित किसी भी चीज़ को वितरित करने के लिए प्रेरित करता है। सीलबंद जिसे मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सकता है, "उददापन" करता है।

46. A sees B drowning in the river but does not save him. B is drowned. A has committed / ए ने बी को नदी में डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं। बी डूब गया है. ए ने प्रतिबद्ध किया है

(a) the offence of murder / हत्या का अपराध
(b) the offence of abetment of suicide / आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध
(c) the offence of culpable homicide not amounting to murder / गैर इरादतन हत्या का अपराध
(d) no offence / कोई अपराध नहीं

Ans. [d]

Linked Provisions:-

1. **Section 304** – punishment for culpable homicide not amounting to murder.
2. **Section 305,306-** Abetment of suicide child or insane person , Abetment of suicide.
3. **Section 309**- Attempt to commit suicide.

Explanation :- A cannot be charged with Abetment of suicide.

Even this offence cannot be applied to A because A did not cause the death of B. A mere failure to act, in this case, does not amount to causing the death of B.

D option is right – A did not laible to any offence.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 304** – गैर इरादतन हत्या के लिए सजा।
2. **धारा 305,306**- बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण।
3. **धारा 309**- आत्महत्या का प्रयास।

स्पष्टीकरण:-ए पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

यहां तक कि यह अपराध ए पर भी लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि ए ने बी की मृत्यु का कारण नहीं बनाया। इस मामले में, केवल कार्य करने में विफलता, बी की मृत्यु का कारण नहीं बनती है।

डी विकल्प सही है – ए किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है।

47. "Common Intention' signifies/ 'सामान्य आशय' का प्रतीक है

(a) similar intention / समान इरादा
(b) prearranged planning / पूर्व नियोजित योजना
(c) presence of common knowledge / सामान्य ज्ञान की उपस्थिति
(d) common design for common objects/ सामान्य वस्तुओं के लिए सामान्य डिज़ाइन

Ans. [b]

Linked Provisions:-

Case- Rishi Dev Pandey v/s State of up.

Explanation: Section 34- Acts done by several persons in furtherance of common intention.—When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of

such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.

लिंकिंग प्रावधान:-

केस- ऋषि देव पांडे बनाम यूपी राज्य।

स्पष्टीकरण: धारा 34- सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। - जब एक आपराधिक कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।

48. A, knowing that B has murdered Z, assists B to hide the body with the intention of screening B from punishment A is liable to / ए, यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या कर दी है, बी को सजा से बचाने के इरादे से शव को छिपाने में बी की सहायता करता है, ए इसके लिए उत्तरदायी है

(a) imprisonment of either description for seven years and to fine also / सात साल की कैद और जुर्माना भी
(b) imprisonment for life / आजीवन कारावास
(c) death sentence / मौत की सजा
(d) fine only / केवल ठीक है

Ans. [a]

Linked Provisions: - chapter 11 (191-229A).

1. **Section 213-** Taking gift etc. to screen an offender from punishment
2. **Section 214 –** Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender. (Imprisonment of either description for seven years and to fine also) same punishment in both Section.

Explanation:- Section 201- Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, causes any evidence of the commission of that offence to disappear, with the intention of screening the offend-er from legal punishment, or with that intention gives any infor-mation respecting the offence which he knows or believes to be false;

if a capital offence.—shall, if the offence which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and fine;

if punishable with imprisonment for life which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and also fine;

if punishable with less than ten years not extend-ing to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of the imprisonment pro-vided for the offence, or with fine, or with both.

लिंकिंग प्रावधान: - अध्याय 11 (191-229ए)।

1. **धारा 213**- अपराधी को सजा से बचाने के लिए उपहार आदि लेना
2. **धारा 214** – अपराधी की जांच के लिए उपहार की पेशकश करना या संपत्ति की बहाली करना।

(सात साल की कैद और जुर्माना भी) दोनों धाराओं में समान सजा।

स्पष्टीकरण:- **धारा 201-** जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से, उस अपराध के घटित होने के किसी भी सबूत को गायब कर देता है, या उस इरादे से कोई सबूत देता है। अपराध से संबंधित जानकारी जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह झूठी है;

यदि कोई मृत्युदंड वाला अपराध है – तो, यदि वह अपराध जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि किया गया है, मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उसे सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;

यदि आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा;

यदि दस वर्ष से कम की सज़ा है, जिसे दस वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो अपराध के लिए प्रदान किए गए विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की सबसे लंबी अवधि के एक-चौथाई भाग तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से या दोनों से।

49. A is the paramour of Z's wife. She gives a valuable property to A, which A knows to belong to Z. and A takes it dishonestly, without any authority of Z to give away. A has committed / A, Z की पत्नी का प्रेमी है। वह ए को एक मूल्यवान संपत्ति देती है, जिसे ए जानता है कि वह ज़ेड की है और ए इसे बेईमानी से ले लेता है, ज़ेड को इसे देने का कोई अधिकार नहीं है। ए ने प्रतिबद्ध किया है

(a) the offence of theft / चोरी का अपराध
(b) the offence of cheating / छल का अपराध
(c) the offence of extortion / उददापन का अपराध
(d) no offence / कोई अपराध नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions:- Section (370-382) Theft

1. **section 454**- lurking house trespass or house breaking in order to commit punishable with imprisonment.
2. **section 457**-lurking house trespass or house trespass by night in order to commit offence punishable with imprisonment.
   In both Section entering without person consent.
3. **Section 379**- punishment of theft.
4. **Section 380**- Theft in dwelling house etc.
5. **Section 381**- theft by clerk or servant of property.
6. **Section 382**- Theft after preparation made for causing death.

Explanation:- Section 378- Whoever, intending to take dishonestly any moveable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा (370-382) चोरी

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

1. **धारा 454** – कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन
2. **धारा 457**- कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रों गृह भेदन
   दोनों अनुभागों में व्यक्ति की सहमति के बिना प्रवेश करना।
3. **धारा 379**- चोरी की सज़ा|
4. **धारा 380**- आवास गृह में चोरी आदि।
5. **धारा 381**- क्लर्क या नौकर द्वारा संपत्ति की चोरी।
6. **धारा 382** – मृत्यु कारित करने की तैयारी करके चोरी करना।

स्पष्टीकरण:- धारा 378- जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को लेने के लिए उस संपत्ति को स्थानांतरित करता है, उसे चोरी करना कहा जाता है।

50. Which of the following is not an essentialelement of theft? / निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Dishonest intention / बेईमान इरादा
(b) Removal from possession / कब्जे से हटाना
(c) Immovable property / अचल संपत्ति
(d) Without consent of the person in possession / कब्जे वाले व्यक्ति की सहमति के बिना

Ans. [c]

Linked Provisions:- Section (378-382) Theft

1. **Section 22**- movable property.
2. **Section 511**- attempt to theft.
3. **Section 379**- punishment of theft.
4. **Section 380-** Theft in dwelling house etc.
5. **Section 381-** theft by clerk or servant of property.
6. **Section 382-** Theft after preparation made for causing death.

Explanation:- Section 378- Whoever, intending to take dishonestly any moveable property out of the possession of any person without that per-son's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा (378-382) चोरी

1. **धारा 22-** चल संपत्ति.
2. **धारा 511**- चोरी का प्रयास।
3. **धारा 379**- चोरी की सज़ा.
4. **धारा 380**- आवास गृह में चोरी आदि।
5. **धारा 381**- क्लर्क या नौकर द्वारा संपत्ति की चोरी।
6. **धारा 382** – मृत्यु कारित करने की तैयारी करके चोरी करना।

स्पष्टीकरण:- धारा 378- जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को लेने के लिए उस संपत्ति को स्थानांतरित करता है, उसे चोरी करना कहा जाता है।

51. For the offence of abduction of person, abducted must be /. किसी व्यक्ति के अपहरण के अपराध के लिए अपहरण होना चाहिए

(a) minor / अवयस्क
(b) major / वयस्क
(c) minor or major / अवयस्क या वयस्क
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [c]

Linked Provisions:-

1. **section 364**- Kidnapping or abducting in order to murder.
2. **Section 364A-** Kidnapping for ransom, etc.
3. **Section 365**- Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person.
4. **Section 366**- Kidnapping, abducting or inducing woman to compel her marriage etc.
5. **Section 367**- Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt,slavery etc.
6. **Section 368-** wrongfully concealing or keeping in confinement, Kidnapping or abducted person.
7. **Section 370(1)** point Thirdly. Trafficking of person.
8. **Section 82-** proclamation for person absconding clause(4).(CR.P.C).
9. **Section 110-** habitual offenders- (d) . (CR.P.C).

Explanation:- Section 362 Abduction.—Whoever by force compels, or by any deceitful means induces, any person to go from any place, is said to abduct that person.

Any person means any age man/woman.

प्रावधान:-

1. **धारा 364-** हत्या के लिए अपहरण या अपहरण करना.
2. **धारा 364ए**- फिरौती के लिए अपहरण आदि।
3. **धारा 365**- किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण या अपहरण करना।
4. **.धारा 366**- अपहरण, अगवा करना या महिला को शादी के लिए मजबूर करना आदि।
5. **धारा 367**- किसी व्यक्ति घोर उपहति को पहुंचाने, गुलामी आदि करने के लिए अपहरण या अपहरण करना।
6. **धारा 368**- सदोष परिरोध से छुपाना या कैद में रखना, व्यक्ति का अपहरण या अपहृत करना।
7. **धारा 370(1)** बिंदु तीसरा. व्यक्ति की तस्करी.
8. **धारा 82**- व्यक्ति के फरार होने की उद्घोषणा धारा(4).(सी.आर.पी.सी).
9. **धारा 110**- आदतन अपराधी- (डी). (सी.आर.पी.सी.)।

स्पष्टीकरण:- धारा 362 अपहरण.-जो कोई किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या किसी कपटपूर्ण साधन से किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।
कोई भी व्यक्ति मतलब किसी भी उम्र का पुरुष/महिला।

52. Which of the following is not an essential element for the offence of kidnapping?/ अपहरण के अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है?

(a) Minor / अवयस्क
(b) Intention of the accused / अभियुक्त का इरादा
(c) Without the consent of lawful guardian / वैध संरक्षकता की सहमति के बिना
(d) Beyond the control of lawful guardian / वैध संरक्षकता के नियंत्रण से परे

Ans. [b]

Linked Provisions:-

1. **section 363-** Punishment for kidnapping.
2. **Section 363A**- kidnapping or maiming a minor for purposes of begging.
3. **Section 364A**- kidnapping for ransom etc.
4. **Section 366A-** Procuration of a minor girl.
5. **Section 369**- kidnapping or abduct-ing child under ten years with intent to steal from its person.
   Under **chapter- 16** kidnapping,abduction,slavery and force labour(359-374).

Explanation:- Section 361- Kidnapping from lawful guardianship.—Whoever takes or entices any minor under [sixteen] years of age if a male, or under [eighteen] years of age if a female, or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 363**- अपहरण के लिए सजा.
2. **धारा 363ए**- भीख मांगने के लिए नाबालिग का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना।
3. **धारा 364ए**- फिरौती के लिए अपहरण आदि।
4. **धारा 366ए**- नाबालिग लड़की की खरीद-फरोख्त।
5. **धारा 369-** दस साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या अपहरण उसके शरीर से चोरी करने के इरादे से करना।

अध्याय- 16 के अंतर्गत अपहरण, अपहरण, दासता और बल श्रम (359-374)।

स्पष्टीकरण:- धारा 361 - वैध संरक्षकता से अपहरण। - जो कोई किसी नाबालिग को, जो पुरुष है तो सोलह साल से कम उम्र का, या महिला होने पर अठारह साल से कम उम्र का, या किसी विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को, बाहर ले जाता है या फुसलाता है। ऐसे नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना वैध संरक्षक के रूप में रखना, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करना कहा जाता है।

53. Under IPC, attempt to commit robbery is punished under / आईपीसी के तहत लूट का प्रयास करने पर सजा दी जाती है

(a) Section 393 / धारा 393
(b) Section 394 / धारा 394
(c) Section 395 / धारा 395
(d) Section 396 / धारा 396

Ans. [a]

Linked Provisions :-

1. **section 394**- Voluntarily causing hurt in committing robbery.
2. **Section 397**-Robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt.
3. **Section 398**- Attempt to commit robbery or dacoity when armed with deadly weapon.
4. **Section 82-** proclamation for person absconding clause(4).(CR.P.C).
5. **Section 110**- habitual offenders (a) .(CR.P.C).

Explanation:-Section 393- Attempt to commit robbery.—Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

प्रावधान:-

1. **धारा 394**- लूट करते समय स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।
2. **धारा 397**-लूट या डकैती, मौत या घोर उपहति पहुंचाने के प्रयास के साथ।
3. **धारा 398**- घातक हथियार से लैस होकर लूट या डकैती करने का प्रयास करना।
4. **धारा 82**- व्यक्ति के फरार होने की उद्घोषणा धारा(4).(सी.आर.पी.सी).
5. **धारा 110-** आदतन अपराधी (ए) .(सी.आर.पी.सी.)।

स्पष्टीकरण:-धारा 393- लूट करने का प्रयास.-जो कोई भी लूट करने का प्रयास करेगा उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

54. In which of the following cases, it is settled that death sentence should be awarded only in the rarest of rare' cases? / निम्नलिखित में से किस मामले में, यह तय किया गया है कि मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जानी चाहिए?

(a) Rv. Govinda / आर.वी. गोविंदा
(b) Hussainara v. State of Bihar / हुसैनारा बनाम बिहार राज्य
(c) Bachan Singh v. State of Punjab / बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य
(d) Sunil Batra v. Delhi Administration / सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन

Ans. [c]

Linked Provisions :-

1. **Section 302-** punishment for murder.
2. **Section 304**- Punishment for culpable homicide not amounting to murder.
3. **section 307**-Attempt to muder.
4. **Section 354 (3)** lanuage and contents of Judgement (CrPC).
5. **Article 14-** Equality before law.(COI)
6. **Article 21-** Protection of life and personal liberty. (COI).

Explanation:-

1. The judgement in Bachan Singh v. State of Punjab has had a significant impact on the imposition of the death penalty in India.
2. The "rarest of rare" principle laid down in the case has been used as a guideline in subsequent cases involving the death penalty.
3. The judgement has also led to a decrease in the number of death sentences imposed in India.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 302**- हत्या के लिए सज़ा.
2. **धारा 304**- गैर इरादतन हत्या के लिए सजा।
3. **धारा 307** – हत्या का प्रयास।

4. **धारा 354 (3)** भाषा और निर्णय की सामग्री (CR.P.C)।
5. **अनुच्छेद 14-** कानून के समक्ष समानता.(COI)
6. **अनुच्छेद 21**- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा. (COI)।

स्पष्टीकरण:-

1. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले का भारत में मृत्युदंड लगाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
2. मामले में निर्धारित "दुर्लभ से दुर्लभतम" सिद्धांत को मृत्युदंड से जुड़े बाद के मामलों में एक दिशानिर्देश के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
3. इस फैसले से भारत में मौत की सजा की संख्या में भी कमी आई है।

55. In which one of the following circumstances the right of private defence of the body extends to causing death? / निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है?

(a) Reasonable apprehension to cause simple hurt / साधारण उपहति पहुंचाने की उचित आशंका
(b) Reasonable apprehension to cause simple theft / साधारण चोरी का कारण बनने की उचित आशंका
(c) Reasonable apprehension of causing wrongful restraint / सदोष अवरोध पैदा करने की उचित आशंका
(d) An act of throwing or administering acid or of such an attempt that reasonably causes apprehension of grievous hurt / एसिड फेंकने या डालने का कार्य या ऐसा प्रयास जिससे उचित रूप से घोर उपहति लगने की आशंका हो

Ans. [d]

Linked Provisions :- Right to private defence Section (96-106).

1. Acts against which there is no right of private defence.
2. **Section 101-** When such right extends to causing any harm other than death.
3. **Section 102**- Commencement and continuance of the right of private defence of the body.
4. **Section 103**- When the right of private defence of property extends to causing death.
5. **Section 104**- When such right extends to causing any harm other than death.
6. **Section 105**- Commencement and continuance of the right of private defence of the body.
7. **Section 106-** Right to private defence against deadly assault when there is risk of harm to innocent person.

Explanation:- Section 100- When the right of private defence of the body extends to causing death.—

1) Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault;
2) Such an assault as may reasonably cause the apprehen-sion that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault;
3) An assault with the intention of committing rape;
4) An assault with the intention of gratifying unnatural lust;
5) An assault with the intention of kidnapping or abduct-ing;
6) An assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release.
7) An act of throwing or administering acid or of such an attempt that reasonably causes apprehension of grievous hurt

लिंकिंग प्रावधान:- निजी रक्षा का अधिकार धारा (96-106)।

1. ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
2. **धारा 101**- जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित हो।
3. **धारा 102**- शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और जारी रहना।
4. **धारा 103**- जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो।
5. **धारा 104-** जब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित हो।
6. **धारा 105**- शरीर की निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और जारी रहना।
7. **धारा 106**- निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार।

स्पष्टीकरण:- धारा 100- जब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो.-

1) ऐसा हमला जिससे उचित रूप से यह आशंका पैदा हो कि ऐसे हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी;
2) ऐसा हमला जिससे उचित रूप से यह आशंका पैदा हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगी;
3) बलात्कार करने के इरादे से किया गया हमला;
4) अप्राकृतिक वासना की पूर्ति के इरादे से किया गया हमला;
5) अपहरण या अगवा करने के इरादे से किया गया हमला;
6) किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध से कैद करने के इरादे से किया गया हमला, ऐसी परिस्थितियों में जिससे उसे यह आशंका हो सकती है कि वह अपनी रिहाई के लिए सार्वजनिक अधिकारियों का सहारा लेने में असमर्थ होगा।
7) तेजाब फेंकने या डालने का कार्य या ऐसा प्रयास जिससे उचित रूप से घोर उपहति लगने की आशंका हो।

56. As per IPC, gang rape is punished under / IPC के मुताबिक, सामूहिक दुष्कर्म की सजा दी जाती है

(a) Section 376A / धारा 376ए
(b) Section 376C / धारा 376 सी
(c) Section 376D / धारा 376डी
(d) Section 376E / धारा 376ई

Ans. [c]

Linked Provisions :-

1. **Section 154**- Information in cognizable cases.
2. **Section 173**- Report of police officer on completion of investigation.
3. **Section 197 -** Prosecution of Judges and public servant.

4. **Section 357B**- Compensation to be in addition to fine under Section 326A or 376D of IPC.
5. **Section 357C**- Treatment of victims.

Explanation:- Section 376D- Gang Rape- When a woman is raped by one or more persons which constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the rape and shall be sentenced with rigorous imprisonment for a term which must not be less than 20 years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of the natural life of the person, and with fine.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 154**- संज्ञेय मामलों में सूचना.
2. **धारा 173**- अन्वेषण पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट.
3. **धारा 197** - न्यायाधीशों और लोक सेवकों पर अभियोजन।
4. **धारा 357बी-** आईपीसी की धारा 326ए या 376डी के तहत जुर्माने के अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।
5. **धारा 357सी**-पीड़ितों का उपचार।

स्पष्टीकरण:- धारा 376डी- सामूहिक बलात्कार- जब एक महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक समूह का गठन करते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार करने वाला माना जाएगा और कठोर सजा दी जाएगी। ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिसे जीवन तक बढ़ाया जा सकता है जिसका अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना होगा।

57. To which one of the following the word 'Illegal' used under Section 43 of IPC. It not applicable? / IPC की धारा 43 के अंतर्गत 'अवैध' शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? यह लागू नहीं है?

(a) Which is an offence / जो एक अपराध है
(b) Which is prohibited by law / जो कानून द्वारा निषिद्ध है
(c) Which furnishes a ground for civil action / जो नागरिक कार्रवाई के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है
(d) Which is immoral / जो अनैतिक है

Ans. [d]

Linked Provisions:-

1. **Section 32**- Words referring to acts include illegal omissions.
2. **Section 171 H-** Illegal payments in connection with an election.
3. **Section 327**- Voluntarily causing hurt to extort property, or to constrain to an illegal act.
4. **Section 347**- Wrongful confinement to extort property, or constrain to illegal act.

Explanation:- Section 43- "Illegal" "Legally bound to do"-- The word "illegal" is applicable to everything which is an offence or which is prohibited by law, or which furnishes ground for a civil action; and a person is said to be "legally bound to do" whatever it is illegal in him to omit.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 32-** कृत्यों का संदर्भ देने वाले शब्दों में अवैध लोप शामिल हैं।
2. **धारा 171** एच- चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान।
3. **धारा 327-** संपत्ति हड़पने के लिए या किसी गैरकानूनी काम के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।
4. **धारा 347**- संपत्ति हड़पने के लिए गलत तरीके से कैद करना, या गैरकानूनी काम करने के लिए मजबूर करना।

स्पष्टीकरण:- धारा 43- "अवैध" "कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य"- "अवैध" शब्द हर उस चीज पर लागू होता है जो अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, या जो नागरिक कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करता है; और कहा जाता है कि एक व्यक्ति "कानूनी रूप से वह सब कुछ करने के लिए बाध्य" है जिसे छोड़ना उसके लिए अवैध है।

58. In which State the first 'Lok-Ayukt' was appointed?/ प्रथम 'लोक-आयुक्त' किस राज्य में नियुक्त किया गया था?

(a) Rajasthan / राजस्थान
(b) Maharashtra / महाराष्ट्र
(c) Gujarat / गुजरात
(d) Uttaranchal / उत्तरांचल

Ans. [b]

59. International Workers Day is observed on / अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है

(a) 15th April /15 अप्रैल
(b) 12th December /12 दिसंबर
(c) Ist May / पहली मई
(d) 1st August / 1 अगस्त

Ans. [c]

60. The ratio of width of our National Flag toits length is/ हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है

(a) 1:2
(b) 2:3
(c) 3:2
(d) 7:9

Ans. [b]

61. 'Law Day' is celebrated in India on which one of the following dates? /भारत में 'कानून दिवस' निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है?

(a) 15th August /15 अगस्त
(b) 26th January /26 जनवरी
(c) 26th December /26 दिसंबर
(d) 26th November /26 नवंबर

Ans. [d]

62. The State of Jharkhand was established on /झारखण्ड राज्य की स्थापना हुई थी

(a) 15th November, 2000 /15 नवंबर, 2000
(b) 16th November, 2000 /16 नवंबर, 2000
(c) 15th December, 2000 /15 दिसंबर, 2000
(d) 16th December, 2000 /16 दिसंबर, 2000

Ans. [a]

63. On the basis of area, the largest State in India is / क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है
(a) Rajasthan / राजस्थान
(b) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
(c) Uttar Pradesh/ उत्तर प्रदेश
(d) Maharashtra / महाराष्ट्र

Ans. [a]

64. Joule is the unit of /जूल किसकी इकाई है
(a) temperature / तापमान
(b) pressure / दबाव
(c) energy / ऊर्जा
(d) heat / गर्मी

Ans. [c]

65. Antibiotics /एंटीबायोटिक्स
(a) prevents pain (analgestic) / दर्द को रोकता है (एनाल्जेस्टिक)
(b) destroys body germs quickly / शरीर के कीटाणुओं को शीघ्र नष्ट कर देता है
(c) does not prevent germs from growing / रोगाणुओं को बढ़ने से नहीं रोकता है
(d) both (b) and (c) / दोनों (बी) और (सी)

Ans. [b]

66. Where did Akbar born? /अकबर का जन्म कहाँ हुआ था?
(a) Delhi / दिल्ली
(b) Lahore / लाहौर
(c) Agra / आगरा
(d) Amarkot/अमरकोट

Ans. [d]

67. The Tax Reform Commission was set up by the / कर सुधार आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
(a) Planning Commission / योजना आयोग
(b) Prime Minister / प्रधान मंत्री
(c) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
(d) Interstate Council / अंतरराज्यीय परिषद

Ans. [c]

68. During proceeding for execution of a decree, if a question arises as to whether any person is or is not the representative of a party, such question shall be determined by / किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही के दौरान, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्ष का प्रतिनिधि है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा?
(a) the court which passed the decree / वह न्यायालय जिसने डिक्री पारित की
(b) the court executing the decree / डिक्री निष्पादित करने वाली न्यायालय
(c) the Appellate Court / अपीलीय न्यायालय
(d) a separate suit / एक अलग वाद

Ans. [b]

Linked Provisions:-
1. **Section 42**- Powers of court in executing transferred decree.
2. **Section 44**- Execution of Decrees passed by Revenue courts in places to which this Code does not extend. , 44A.
3. **Section 45**- Execution of Decrees outside India.
4. **Section 60**- Property liable to attachment and sale in execution of decree.
5. **Order 21**- Execution of decrees and orders.

Explanation:- Section 47- Questions to be determined by the Court executing decree-
(1) All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed, or their representatives, and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree, shall be determined by the Court executing the decree and not by a separate suit.
(3) Where a question arises as to whether any person is or is not the representative of a party, such question shall, for the purposes of this section, be determined by the Court.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 42**- हस्तांतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ।
2. **धारा 44**- राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन उन स्थानों पर जहां इस संहिता का विस्तार नहीं है।, धारा 44A.
3. **धारा 45**- भारत के बाहर फ़रमानों का निष्पादन।
4. **धारा 60**- डिक्री के निष्पादन में कुर्की और बिक्री के लिए उत्तरदायी संपत्ति।
5. **आदेश 21-** डिक्री एवं आदेशों का निष्पादन।

स्पष्टीकरण:- धारा 47- डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रश्न-
(1) उस वाद के पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, और डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि से संबंधित, डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, न कि किसी अलग से सुविधाजनक होना।
(3) जहां यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी का प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसा प्रश्न, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

69. In execution of a decree, other than a decree for maintenance, passed against A. what shall be the attachable portion, if his salary is Rs. 10,000 per month? / भरण-पोषण की डिक्री के अलावा किसी डिक्री के निष्पादन में, ए के विरुद्ध पारित किया गया, कुर्की योग्य भाग क्या होगा, यदि उसका वेतन रु. 10,000 प्रति माह?
(a) Rs. 3,333
(b) Rs. 5,000
(c) Rs. 3,000
(d) Rs. 6,666

Ans. [c]

Linked Provisions:-
1. **Order 21** attachment of property (41-57).
2. **Attachment Section** (60-64).

3. **Order 38**- Arrest and Attachment before judgment
4. **Section 83-** Attachment of Property of Person absconding. (CR.P.C).
5. **Section 105 C-** Assistant in relation to orders of attachment or forfeiture of property. (CR.P.C).

Explanation:- Section 60- i) salary to the extent of the first one thousand rupees and two third of the remainder in execution of any decree other than a decree for maintenance-

Provided that where any part of such portion of the salary as is liable to attachment has been under attachment, whether continuously or intermittently, for a total period of twenty-four months, such portion shall be exempt from attachment until the expiry of a further period of twelve months, and, where such attachment has been made in execution of one and the same decree, shall, after the attachment has continued for a total period of twenty-four months, be finally exempt from attachment in execution of that decree.

10000-1000-6000=3000.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश 21** संपत्ति की कुर्की (41-57)।
2. **कुर्की सेक्शन** (60-64).
3. **आदेश 38-** फैसले से पहले गिरफ्तारी और कुर्की
4. **धारा 83**- फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। (CR.P.C.)।
5. **धारा 105 सी-** संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेश के संबंध में सहायक। (CR.P.C.)।

स्पष्टीकरण: - धारा 60- i) पहले एक हजार रुपये और शेष का दो तिहाई की सीमा तक वेतन भरण-पोषण के लिए डिक्री के अलावा किसी भी डिक्री के निष्पादन में :

बशर्ते कि जहां वेतन के ऐसे हिस्से का कोई भी हिस्सा जो कुर्की के लिए उत्तरदायी है, चौबीस महीने की कुल अवधि के लिए, चाहे लगातार या रुक-रुक कर, कुर्की के अधीन रहा हो, ऐसे हिस्से को अगली अवधि की समाप्ति तक कुर्की से छूट दी जाएगी। बारह महीने की अवधि, और, जहां ऐसी कुर्की एक ही डिक्री के निष्पादन में की गई है, चौबीस महीने की कुल अवधि तक कुर्की जारी रहने के बाद, अंततः उस डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट दी जाएगी।

10000-1000-6000=3000.

70. In an 'Interpleader suit' there/वहाँ एक 'इंटरप्लीडर सूट' में

(a) are several claimants claiming the property adverse to each other / कई दावेदार एक-दूसरे के प्रतिकूल संपत्ति का दावा कर रहे हैं
(b) is only one claimant claiming the property against the other / केवल एक दावेदार दूसरे के खिलाफ संपत्ति का दावा कर रहा है
(c) are several claimants claiming the property under common interest of all / क्या कई दावेदार सभी के सामान्य हित के तहत संपत्ति पर दावा कर रहे हैं
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [a]

Linked Provisions:- Order 35- interpleader

Explanation:- Section 88- Where interpleader suit may be instituted.—

Where two or more persons claim adversely to one another the same debt, sum of money or other property, movable or immovable, from another person, who claims no interest therein other than for charges or costs and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant, such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of obtaining a decision as to the person to whom the payment or delivery shall be made and of obtaining indemnity for himself:

Provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted.

लिंकिंग प्रावधान:- आदेश 35- अंतराभिवाची

स्पष्टीकरण:- धारा 88- जहां अतंराभिवाची वाद संस्थित किया जा सकता है.-जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से समान ऋण, धन राशि या अन्य संपत्ति, चल या अचल, पर प्रतिकूल दावा करते हैं, जो शुल्क या लागत के अलावा उस पर कोई ब्याज का दावा नहीं करता है और जो इसे भुगतान करने या वितरित करने के लिए तैयार है। सही दावेदार, ऐसा अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से जिसे भुगतान या वितरण किया जाएगा और स्वयं के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सभी दावेदारों के खिलाफ अंतराभिवाची का वाद दायर कर सकता है:बशर्ते कि जहां कोई भी वाद लंबित हो जिसमें सभी पक्षों के अधिकारों का उचित रूप से निर्णय लिया जा सके, का ऐसा कोई वाद स्थापित अंतराभिवाची नहीं किया जाएगा।

71. The Court cannot order execution of a decree as per Section 51 of CPC, in which of the following ways? / CPC की धारा 51 के अनुसार न्यायालय निम्नलिखित में से किस तरीके से डिक्री के निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता है?

(a) By delivery of any property specifically decreed / विशेष रूप से डिक्री की गई किसी भी संपत्ति की डिलीवरी द्वारा
(b) By attachment and sale of property / संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा
(c) By serving summons on the party / पार्टी को समन भेजकर
(d) By appointing a receiver /एक रिसीवर नियुक्त करके

Ans. [c]

Linked Provisions:-

1. **Order- 21**- Execution of Decrees and orders.
2. **Section 118**- Execution of Decree before ascertainment of costs.
3. **Section 134**- Arrest other than in execution of decree.

Explanation:- Section 51- The Court may,order execution of the decree-

(a) by delivery of any property specifically decreed;
(b) by attachment and sale or by the sale without attachment of any property;
(c) by arrest and detention in prison [for such period not exceeding the period specified in section 58,

where arrest and detention is permissible under that section];
(d) by appointing a receiver; or
(e) in such other manner as the nature of the relief granted may require :where the decree is for the payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered unless, after giving the judgment-debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the Court, for reasons recorded in writing .

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश-21**-आदेशों एवं आदेशों का निष्पादन।
2. **धारा 118**- लागत सुनिश्चित करने से पहले डिक्री का निष्पादन।
3. **धारा 134**- डिक्री के निष्पादन के अलावा अन्य गिरफ्तारी।

स्पष्टीकरण:- धारा 51- न्यायालय डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकता है-

(ए) विशेष रूप से डिक्री की गई किसी भी संपत्ति की डिलीवरी द्वारा;
(बी) कुर्की और बिक्री द्वारा या किसी संपत्ति की कुर्की के बिना बिक्री द्वारा;
(सी) गिरफ्तारी और जेल में हिरासत द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो धारा 58 में निर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो, जहां उस धारा के तहत गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति है;
(डी) एक रिसीवर नियुक्त करके; या
(ई) ऐसे अन्य तरीके से जो दी गई राहत की प्रकृति की आवश्यकता हो सकती है: जहां डिक्री पैसे के भुगतान के लिए है, जेल में नजरबंदी द्वारा निष्पादन का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि फैसले-देनदार को कारण बताने का अवसर न दिया जाए। उसे लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर जेल में नहीं डाला जाना चाहिए।

72. If the appellant withdraws the appeal preferred against a decree passed ex parte the application under order 9 rule 13 of CPC shall be / यदि अपीलकर्ता एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री के खिलाफ की गई अपील वापस ले लेता है तो सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन किया जाएगा।

(a) rejected / अस्वीकृत
(b) returned / लौट आया
(c) maintainable / रखरखाव योग्य
(d) referred for opinion of the Appellate Court / अपीलीय न्यायालय की राय के लिए भेजा गया

Ans. [c]

Linked Provisions:-

1. **Order 9 rule 6a-** When summons duly served.
2. **Order 9 rule 7-** Good cause for previous non-appearance.

Remedies under ex parte

1. Application under order 9 rule 13.
2. An appeal under Section 96(2)
3. Revision under section 115
4. Revision under Order 47 rule 1.

Explanation:-13. Setting aside decree ex parte against defendant.

Provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only it may be set aside as against all or any of the other defendants also:

Provided further that no Court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summons, if it is satisfied that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश 9 नियम 6ए**- जब समन विधिवत तामील हो।
2. **आदेश 9 नियम 7-** पिछली गैर-उपस्थिति के लिए अच्छा कारण।

एक पक्षीय के तहत उपाय

1. आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन।
2. धारा 96(2) के तहत अपील
3. धारा 115 के तहत संशोधन
4. आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत संशोधन।

स्पष्टीकरण:-**13.** प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को रद्द करना । परंतु जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की हो कि इसे ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ रद्द नहीं किया जा सकता है, केवल इसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ भी रद्द किया जा सकता है।

परंतु कोई भी न्यायालय केवल इस आधार पर एकपक्षीय पारित डिक्री को रद्द नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई है, यदि वह संतुष्ट है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय था और वादी के दावे का उत्तर दें।

73. Where a suit is abated or dismissed under Order 22 of CPC on the same cause of action / जहां कार्रवाई के समान कारण पर सीपीसी के आदेश 22 के तहत मुकदमा समाप्त या खारिज कर दिया जाता है

(a) new suit may be instituted with the consent of parties/ पार्टियों की सहमति से नया वाद दायर किया जा सकता है
(b) fresh suit may be filed with prior permission of the court / नया वाद न्यायालय की पूर्व अनुमति से दायर किया जा सकता है
(c) no fresh suit shall be brought / कोई नया वाद नहीं लाया जाएगा
(d) new suit may be filed if sufficient cause is shown / यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाए तो नया वाद दायर किया जा सकता है

Ans. [c]

Linked Provisions:- Section 11- Res Judicata

Explanation:- Order 22 Rule 9 - Effect of abatement or dismissal. (I) Where a suit abates or is dismissed under this Order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action.

लिंकिंग प्रावधान:- धारा 11- पूर्व न्याय

स्पष्टीकरण:- आदेश 22 नियम 9 - उपशमन या ख़ारिज का प्रभाव। (एल) जहां इस आदेश के तहत कोई वाद समाप्त हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है, उसी कार्रवाई के कारण पर कोई नया वाद नहीं लाया जाएगा।

74. Which of the following is not correct regarding the powers of Appellate Court? / अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

(a) Appellate Court has power to determine a case finally / अपीलीय न्यायालय के पास किसी मामले को अंतिम रूप से निर्धारित करने की शक्ति है
(b) Appellate Court has power to remand the case / अपीलीय न्यायालय के पास मामले को रिमांड पर लेने की शक्ति है
(c) Appellate Court has no power to take additional evidence / अपीलीय न्यायालय के पास अतिरिक्त साक्ष्य लेने की कोई शक्ति नहीं है
(d) Appellate Court has power to frame issue and refer them for trial / अपीलीय न्यायालय के पास मुद्दे तय करने और उन्हें विचारण के लिए संदर्भित करने की शक्ति है

/Ans. [c]

Linked Provisions:-
1. General Provisions relating to appeals 107,108.
2. **Section 386-** Powers of Appellate Court.

Explanation:- Section 107: Powers of Appellate Court-
(a) to determine a case finally;
(b) to remand a case;
(c) to frame issues and refer them for trial;
(d) to take additional evidence or to require such evidence to be taken.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. अपील से संबंधित सामान्य प्रावधान 107,108।
2. **धारा 386**- अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ।

स्पष्टीकरण:- धारा 107: अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ-
(ए) किसी मामले को अंतिम रूप से निर्धारित करने के लिए;
(बी) मामले का प्रतिप्रेषण करे;
(सी) विवादयक विरचित करे और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करे ;
(डी) अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए या ऐसे साक्ष्य लेने की आवश्यकता के लिए।

75. Period of detention in civil imprisonment, as a consequence of disobedience or breach of any injunction, shall not exceed / किसी निषेधाज्ञा की अवज्ञा या उल्लंघन के परिणामस्वरूप नागरिक कारावास में हिरासत की अवधि, इससे अधिक नहीं होगी

(a) one month / एक महीना
(b) three months / तीन महीने
(c) six months / छह महीने
(d) one year / एक वर्ष

Ans. [b]

Linked Provisions:-
1. **Section 94(C).**- Supplemental Proceedings.
2. **Section 37**- Temporary and perpetual injunctions. (SRA)
3. **Section 38**- Perpetual injunction when granted.(SRA)
4. **Section 41**- Injunction when refused. (SRA)
5. **Section142**- Injunction pending inquiry (CRPC)
6. **Section 291**- Continuance of nuisance after injunction to discontinue.(IPC)

Explanation:- Order 39 Rule 2A- The party committing disobedience and breach of Injunction, his property is liable to be attached and such person may also be detained in the Civil prison for a term, not exceeding three months.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 94(सी)**.- पूरक कार्यवाही।
2. **धारा 37**- अस्थायी एवं शाश्वत निषेधाज्ञा। (एसआरए)
3. **धारा 38**- दिए जाने पर सतत निषेधाज्ञा (एसआरए)
4. **धारा 41**- मना करने पर निषेधाज्ञा। (एसआरए)
5. **धारा 142**- निषेधाज्ञा लंबित जांच (सीआरपीसी)
6. **धारा 291**- उपद्रव बंद करने के आदेश के बाद भी उपद्रव जारी रखना।(आईपीसी)

स्पष्टीकरण:- आदेश 39 नियम 2ए- जो पक्ष निषेधाज्ञा की अवज्ञा और उल्लंघन करता है, उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए सिविल जेल में भी हिरासत में रखा जा सकता है।

76. If a party who has obtained an order to amend the pleadings under CPC, if not amended, after expiration of how many days shall not be permitted to amend the same without the leave of the court? / यदि एक पक्ष जिसने सीपीसी के तहत दलीलों में संशोधन करने का आदेश प्राप्त किया है, यदि संशोधन नहीं किया गया है, तो कितने दिनों की समाप्ति के बाद न्यायालय की अनुमति के बिना उसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी?

(a) 15 days /15 दिन
(b) 90 days /90 दिन
(c) 14 days/ 14 दिन
(d) 30 days /30 दिन

Ans. [c]

Explanation:- order 6 rule 18- Failure to amend after order : If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limit then within fourteen days from the date of order, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid or of such fourteen days, as the case May be, unless the time is extended by the court.

स्पष्टीकरण:- आदेश 6 नियम 18- आदेश के बाद संशोधन करने में विफलता: यदि कोई पक्ष जिसने संशोधन की अनुमति का आदेश प्राप्त कर लिया है, वह समय सीमा के भीतर तदनुसार संशोधन नहीं करता है तो आदेश की तारीख से चौदह दिनों के भीतर उसे संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त सीमित समय या चौदह दिनों की समाप्ति के बाद संशोधन करें, जैसा भी मामला हो, जब तक कि न्यायालय द्वारा समय नहीं बढ़ाया जाता है।

77. Where party dies after conclusion of the hearing and before pronouncing of Judgement/ जहां सुनवाई के समापन के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पहले पक्ष की मृत्यु हो जाती है

(a) the suit shall abate / न्यायालय समाप्त हो जाएगा
(b) the suit shall not abate / न्यायालय समाप्त नहीं होगा
(c) the suit shall not abate if cause of action survives / यदि कार्रवाई का कारण जीवित रहता है तो न्यायालय समाप्त नहीं होगा

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

(d) it will be deemed that judgment has been pronounced before death of the party / यह माना जाएगा कि पक्ष की मृत्यु से पहले निर्णय सुनाया गया है

Ans. [d]

Linked Provisions:-

1. **Order 22**- death, marriage and insolvency of parties.
2. **Chapter 20**- offences relating marriage (IPC).
3. **Section 112**- Birth during marriage , conclusive proof (IEA).

Explanation:- Order 22 Rule 6- No abatement by reason of death after hearing- Notwithstanding anything contained in the foregoing rules, whether the cause of action survives or not, there shall be no abatement by reason of the death of either party between the conclusion of the hearing and the pronouncing of the judgment, but judgment may in such case be pronounced notwithstanding the death and shall have the same force and effect as if it had been pronounced before the death took place.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश 22-** मृत्यु, विवाह और पार्टियों का दिवालियापन।
2. **अध्याय 20**- विवाह से संबंधित अपराध (IPC)।
3. **धारा 112**- विवाह के दौरान जन्म, निर्णायक सबूत (IEA)।

स्पष्टीकरण:- आदेश 22 नियम 6- सुनवाई के बाद मृत्यु के कारण कोई उपशमन नहीं- पूर्वगामी नियमों में किसी भी बात के बावजूद, चाहे कार्रवाई का कारण जीवित रहे या नहीं, निष्कर्ष के बीच किसी भी पक्ष की मृत्यु के कारण कोई उपशमन नहीं होगा सुनवाई और निर्णय सुनाने की, लेकिन ऐसे मामले में निर्णय मृत्यु के बावजूद सुनाया जा सकता है और उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि मृत्यु होने से पहले सुनाया गया हो।

78. An application for revision under CPC is filed under / CPC के तहत संशोधन के लिए पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया है

(a) Section 114 / धारा 114
(b) Section 115 / धारा 115
(c) Section 116 / धारा 116
(d) Section 113 / धारा 113

Ans. [b]

Linked Provisions:-

1. **Section 402**- Power of High Court to withdraw or transfer revision cases.(CR.P.C)
2. **Section 283-** Record in High Court.
3. **Section 386-** powers of the Appellate Court.
4. **Section 401-** High court's powers of revision.
5. **Section 407-** Power of High Court to transfer cases and appeals .

Explanation:-

1) The High Court may call for the record of any case which has been decided by any Court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate Court appears-
   (a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or
   (b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or
   (c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,
2) The High Court shall not, under this section, vary or reverse any decree or order against which an appeal lies either to the High Court or to any Court subordinate thereto.
3) A revision shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the Court except where such suit or other proceeding is stayed by the High Court.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 402**- पुनरीक्षण मामलों को वापस लेने या स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
2. **धारा 283**- उच्च न्यायालय में अभिलेख।
3. **धारा 386**- अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ।
4. **धारा 401**- उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ।
5. **धारा 407** – मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

स्पष्टीकरण: -

1) उच्च न्यायालय किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसमें कोई अपील नहीं है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय उपस्थित होता है-
   (ए) उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
   (बी) इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है, या
   (सी) अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया है,
2) उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी भी डिक्री या आदेश में बदलाव नहीं करेगा या उसे उलट नहीं देगा जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है।
3) कोई पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में काम नहीं करेगा, सिवाय इसके कि ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई हो।

79. Before filing a suit against government under Section 80 of CPC It requires a notice to be given to the government of /. CPC की धारा 80 के तहत सरकार के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर करने से पहले सरकार को एक नोटिस देना आवश्यक है

(a) 60 days /60 दिन
(b) 30 days /30 दिन
(c) 90 days /90 दिन
(d) 14 days /14 दिन

Ans. [a]

Linked Provisions:- Order 11 Discovery and inspection.

1. **Rule 16**- Notice to produce.
2. **Rule17**- Time for inspection when notice given.

Explanation:- Section 80- only after the expiration of two months of sending notice to the government or public official, one can sue it. The duration of two months provides time to the official for responding to the notice served to it.

लिंकिंग प्रावधान:- आदेश 11 खोज एवं निरीक्षण.

1. **नियम 16**- नोटिस प्रस्तुत करें।
2. **नियम 17**- नोटिस दिए जाने पर निरीक्षण का समय।

स्पष्टीकरण:- धारा 80- केवल सरकार या लोक अधिकारी को नोटिस भेजने के दो महीने की समाप्ति के बाद ही कोई उस पर वाद कर सकता है। दो महीने की अवधि में अधिकारी को दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए समय मिलता है।

80. Exemption from personal appearance in the court is provided under/ . न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की गयी है

(a) Section 133 of CPC / सीपीसी की धारा 133
(b) Section 132 of CPC / सीपीसी की धारा 132
(c) Section 143 of CPC / सीपीसी की धारा 143
(d) Section 142 of CPC / सीपीसी की धारा 142

Ans. [a]

Linked Provisions:-

1. **Sec. 160-** Police Officer's power to require attendance of witnesses.
2. **Sec. 205**- Magistrate may dispense with personal attendance of accused.
3. **Sec. 267-** Power to require attendance of prisoners.

Explanation:- Persons shall be entitled to exemption from personal appearance in Court, namely:--

(i) the President of India;
(ii) the Vice-President of India;
(iii) the Speaker of the House of the People;
(iv) the Ministers of the Union;
(v) the Judges of the Supreme Court;
(vi) the Governors of States and the administrators of Union territories;
(vii) the Speakers of the State Legislative Assemblies;
(viii) the Chairman of the State Legislative Councils;
(ix) the Ministers of States;
(x) the Judges of the High Courts; and
(xi) the persons to whom section 87B applies.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 160-** गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।
2. **धारा 205-** मजिस्ट्रेट अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है।
3. **धारा 267 –** कैदियों की उपस्थिति की आवश्यकता की शक्ति।

स्पष्टीकरण:- व्यक्ति न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के हकदार होंगे, अर्थात्:--

(i) भारत के राष्ट्रपति;
(ii) भारत के उपराष्ट्रपति;
(iii) लोक सभा के अध्यक्ष;
(iv) संघ के मंत्री;
(v) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
(vi) राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक;
(vii) राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष;
(viii) राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष;
(ix) राज्यों के मंत्री;
(x) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश; और
(xi) वे व्यक्ति जिन पर धारा 87बी लागू होती है।]

81. A suit in respect of public charities is provided under / लोक पूर्त कार्य के वाद संबंध में नीचे प्रदान किया गया है

(a) Section 92 of CPC / सीपीसी की धारा 92
(b) Section 41 of CPC / सीपीसी की धारा 41
(c) Section 100 of CPC / सीपीसी की धारा 100
(d) Section 105 of CPC / सीपीसी की धारा 105

Ans. [a]

Linked Provisions:- Doctrine of cypress.

Explanation:- Section 92- In the case of any alleged breach of any express or constructive trust created for public purposes of a charitable or religious nature, or where the direction of the Court is deemed necessary for the administration of any such trust, the Advocate-General, or two or more persons having an interest in the trust and having obtained the leave of the Court, may institute a suit.

लिंकिंग प्रावधान:- साईप्रस का सिद्धांत.

स्पष्टीकरण:- धारा 92- धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए किसी भी व्यक्त या रचनात्मक ट्रस्ट के कथित उल्लंघन के मामले में, या जहां ऐसे किसी ट्रस्ट के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है, वकील -सामान्य, या दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनका ट्रस्ट में हित है और उन्होंने न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली है, वाद दायर कर सकते हैं।

82. Sult of indigent persons has been provided under /. निर्धन व्यक्तियों के कल्याण का प्रावधान किया गया है

(a) Order 32 of CPC / सीपीसी का आदेश 32
(b) Order 33 of CPC / सीपीसी का आदेश 33
(c) Order 29 of CPC / सीपीसी का आदेश 29
(d) Order 34 of CPC / सीपीसी का आदेश 34

Ans.(b)

Linked Provisions:-

1. **ORDER 44**- Appeals by indigent persons.
2. **Section 13-** Exclusion of time in cases where leave to sue or appeal as a pauper is applied for under limitation act .

Explanation:- Order 33- Indigent person" Order 33 Rule 1, a person is an indigent person if he does not have sufficient means other than property excused from attachment in execution of the degree, to enable him to pay prescribed fees.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश 44**- निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील।
2. **धारा 13**- उन मामलों में समय का बहिष्कार जहां परिसीमन अधिनियम के तहत कंगाल के रूप में वाद करने या अपील करने की अनुमति दी जाती है।

स्पष्टीकरण:- आदेश 33- निर्धन व्यक्ति आदेश 33 नियम 1, एक व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है यदि उसके पास डिग्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति के अलावा पर्याप्त साधन नहीं है, जिससे वह निर्धारित शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हो सके।

83. The provision in respect of summary procedure has been laid down under / संक्षिप्त प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान नीचे दिए गए हैं

(a) Order 37 of CPC / सीपीसी का आदेश 37
(b) Order 36 of CPC / सीपीसी का आदेश 36
(c) Order 38 of CPC / सीपीसी का आदेश 38
(d) Order 40 of CPC / सीपीसी का आदेश 40

Ans. [a]

Linked Provisions:- (CR.P.C) Summary Trials - **Chapter 21-** (260-265).

1. **Section 344**- Summary procedure for trial for giving false evidence.
2. **Section 350**- Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons.

Explanation:- Order 37- provides for the summary procedure. The provision has been made keeping in view certain suits, to prevent the unreasonable obstruction laid down by the defendant, who has no defence.

लिंकिंग प्रावधान:- Crpc संक्षिप्त परीक्षण - **अध्याय 21-** (260-265)।

1. **धारा 344-** झूठा साक्ष्य देने पर मुकदमे की संक्षिप्त प्रक्रिया।
2. **धारा 350-** किसी गवाह द्वारा सम्मन के पालन में उपस्थित न होने पर दण्ड की संक्षिप्त प्रक्रिया।

स्पष्टीकरण:- आदेश 37- संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यह प्रावधान कुछ वाद को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि प्रतिवादी, जिसके पास कोई बचाव नहीं है, द्वारा लगाई गई अनुचित बाधा को रोका जा सके।

84. Under Section 37 of Code of Criminal Procedure every person is bound to assist a Magistrate or a Police Officer /. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के तहत प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य है

(a) in the taking or preventing the escape of any other person whom such / ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने या भागने से रोकने में
(b) in the prevention or suppression of breach of peace / शांति भंग की रोकथाम या दमन में
(c) in the prevention of any injury attempted to be committed to railways / रेलवे को होने वाली किसी भी चोट की रोकथाम में
(d) All of the above / उपरोक्त सभी

Ans. [d]

Linked Provisions:-

1. **Section 187** IPC.
2. **Chapter 4- B** aid to Magistrate and the police.

Explanation:- Public when to assist Magistrates and police. Every person is bound to assist a Magistrate or police officer reasonably demanding his aid-

(a) in the taking or preventing the escape of any other person whom such Magistrate or police officer is authorised to arrest; or
(b) in the prevention or suppression of a breach of the peace; or
(c) in the prevention of any injury attempted to be committed to any railway, canal, telegraph or public property.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 187IPC**.
2. **अध्याय 4- बी** मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता।

स्पष्टीकरण:- जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करनी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की यथोचित सहायता मांगने पर उसकी सहायता करने के लिए बाध्य है-

(ए) किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने या भागने से रोकने में जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है; या
(बी) परी शांति भंग की रोकथाम या दमन में; या
(सी) किसी भी रेलवे, नहर, टेलीग्राफ या सार्वजनिक संपत्ति को होने वाली किसी भी चोट की रोकथाम में।

85. In a cognizable case under Indian Penal Code the police will have all the powers to-investigate / भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञेय मामले में पुलिस के पास अन्वेषण करने की सभी शक्तियां होंगी

(a) except the power to arrest without warrant / बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर
(b) including the power of arrest without warrant/ बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति सहित
(c) and arrest without warrant, only after seeking permission from the Magistrate/ और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी
(d) and arrest without warrant, only after informing the Magistrate having jurisdiction to inquire into or try the offence / और बिना वारंट के गिरफ्तारी, अपराध की जांच या मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के बाद ही

Ans. [b]

Linked Provisions:- Chapter 12 information to police and their powers to investigate Section (154-176).

1. **Section 156-** Police Officer's power to investigate cognizable case.
2. **Section 167**- Procedure when investigation cannot be completed in twenty-four hours.

Explanation:- Investigation in cognizable cases- The power of police officers to investigate a cognizable offence is given under Section 156 . This investigation has to be carried out without permission from the magistrate.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 12 पुलिस को इतिला और अन्वेषण करने की उनकी शक्तियाँ धारा (154-176)।

1. **धारा 156**- संज्ञेय मामले की जांच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
2. **धारा 167**- प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी न हो सके।

स्पष्टीकरण:- संज्ञेय मामलों में अन्वेषण - पुलिस अधिकारियों को संज्ञेय अपराध की अन्वेषण करने की शक्ति धारा 156 के तहत दी गई है। यह अन्वेषण मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना की जानी है।

86. For the purpose of taking cognizance of an offence what period of limitation It prescribed by the court for an offence carrying punishment not exceeding one year? / किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय द्वारा एक वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए कौन सी समय सीमा निर्धारित की गई है?

(a) 3 months. /3 महीने.
(b) 6 months /6 महीने
(c) 1 year /1 वर्ष
(d) 3 years of/ 3 वर्ष

Ans. [c]

Linked Provisions:- Chapter 36 limitation for taking cognizance of certain offences sections(467-473).

1. **Section 467**- definition (period of limitation).
2. **Section 468**- Bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation.
3. **Section 469**- Commencement of the period of limitation.

Explanation:- section 468- When the imprisonment "for the offence" does not exceed one year, the period "of limitation" is one year; When the minimum sentence "for the offence" is one year and the maximum is three years then the period of limitation will be three years.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 36 कुछ अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा (467-473)।

1. **धारा 467**- परिभाषा (परिसीमा की अवधि)। (सी.आर.पी.सी.)
2. **धारा 468**- परिसीमा अवधि बीत जाने के बाद संज्ञान लेने पर रोक। (सी.आर.पी.सी.)
3. **धारा 469**- परिसीमा अवधि का प्रारम्भ। (सी.आर.पी.सी.)

स्पष्टीकरण:- धारा 468- जब अपराध के लिए कारावास एक वर्ष से अधिक नहीं है, तो "सीमा की अवधि" एक वर्ष है; जब अपराध के लिए न्यूनतम सजा एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष है तो परिसीमा की अवधि तीन वर्ष होगी।

87. What is the maximum period an Executive Magistrate may authorize the detention to an accused in custody? / एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को हिरासत में रखने के लिए अधिकतम कितनी अवधि का अधिकार दे सकता है?

(a) Not exceeding 24 hours /24 घंटे से अधिक नहीं
(b) Not exceeding 3 days /3 दिन से अधिक नहीं
(c) Not exceeding 7 days /7 दिन से अधिक नहीं
(d) Not exceeding 15 days /15 दिन से अधिक नहीं

Ans. [c]

Linked Provisions:-

1. **Section 172**- Diary of proceeding in investigation.
2. **Section 167**- Procedure when investigation cannot be completed in twenty-four hours.

Explanation:- Section 167 2A- Forward the accused to such Executive Magistrate, and thereupon such Executive Magistrate, may, for reasons to be recorded in writing, authorise the detention of the accused person in such custody as he may think fit for a term not exceeding seven days in the aggregate.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 172-** अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी।
2. **धारा 167**- प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी न हो सके।

स्पष्टीकरण:- धारा 167 2ए- आरोपी को ऐसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास अग्रेषित करें, और उसके बाद ऐसा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आरोपी व्यक्ति को ऐसी हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिसे वह एक अवधि के लिए उचित समझे कुल मिलाकर सात दिन से अधिक।

88. Who is not entitled to any maintenance under Chapter IX of CIPC / सीआईपीसी के अध्याय 9 के तहत कौन किसी भी रखरखाव का हकदार नहीं है

(a) Divorced wife / तलाकशुदा पत्नी
(b) Judicially separated wife / न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी
(c) Illegitimate child / नाजायज संतान
(d) Physically and mentally able adult son / शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम वयस्क पुत्र

Ans. [d]

Explanation:- Section125- 1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain-

(a) his wife, unable to maintain herself, or
(b) his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or
(c) his legitimate or illegitimate child (not being a married daughter) who has attained majority, where such child is, by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or
(d) his father or mother, unable to maintain himself or herself.

स्पष्टीकरण:- (1) यदि पर्याप्त साधन रखने वाला कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है या रखरखाव से इंकार करता है--

(ए) उसकी पत्नी, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ, या
(बी) उसका वैध या नाजायज नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या
(सी) उसकी वैध या नाजायज संतान (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
(डी) उसके पिता या माता, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

89. How long a warrant of arrest shall remain in force? / गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहेगा?

(a) 6 years /6 वर्ष
(b) 10 years /10 वर्ष

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

(c) 12 years /12 वर्ष
(d) Until executed or cancelled/ निष्पादित या रद्द होने तक

Ans. [d]

Linked Provisions:- warrant of arrest Sections (70-81).

1. **Section 72-** warrant to whom directed.
2. **Section 73**- warrant may be directed to say person.
3. **Section 74-** warrant directed to police officer.
4. **Section 77-** when warrant may be executed.

Explanation:- Section 70-

1) Every warrant of arrest issued by a Court under this Code shall be in writing, signed by the presiding officer of such Court and shall bear the seal of the Court.
2) Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the Court which issued it, or until it is executed.

लिंकिंग प्रावधान:- गिरफ्तारी वारंट **धारा** (70-81).

1. **धारा 72**- वारंट किसको निर्देशित किया जाए।
2. **धारा 73**- वारंट व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है।
3. **धारा 74**- वारंट पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया।
4. **धारा 77**- वारंट कब निष्पादित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:- धारा 70-

1) इस संहिता के तहत किसी न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुहर होगी।
2) ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, या जब तक इसे निष्पादित नहीं किया जाता।

90. What is the time limit prescribed within which claims and objections to attachment to be made under CrPC?/ सीआरपीसी के तहत कुर्की पर दावे और आपत्तियां करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?

(a) 6 months /6 महीने
(b) 60 days /60 दिन
(c) 1 year /1 वर्ष
(d) 3 years /3 वर्ष

Ans. [a]

Linked Provisions:-

1. **Order 21** attachment of property (41-57).(CPC)
2. **Attachment** Section (60-64). (CPC)
3. **Order 38**- Arrest and Attachment before judgment (CPC)
4. **Section 83-** Attachment of Property of Person absconding.
5. **Section 105 C-** Assistant in relation to orders of attachment or forfeiture of property.

Explanation:- Section 84- If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under section 83, within six months from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property, and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **आदेश 21** संपत्ति की कुर्की (41-57).(सीपीसी)
2. अटैचमेंट **सेक्शन (60-64).** (सीपीसी)
3. **आदेश 38-** फैसले से पहले गिरफ्तारी और कुर्की (सीपीसी)
4. **धारा 83-** फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की।
5. **धारा 105 सी-** संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेश के संबंध में सहायक।

स्पष्टीकरण:- धारा 84- यदि धारा 83 के तहत कुर्क की गई किसी भी संपत्ति की कुर्की पर कोई दावा या आपत्ति की जाती है, तो ऐसी कुर्की की तारीख से छह महीने के भीतर, उद्घोषित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जमीन पर कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का ऐसी संपत्ति में हित है, और ऐसा हित धारा 83 के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं है, दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी, और पूरी तरह या आंशिक रूप से अनुमति दी जा सकती है या अस्वीकार की जा सकती है।

91. Under what appropriate Section, a Magistrate may issue an order of Injunction?/ किस उपयुक्त धारा के तहत, एक मजिस्ट्रेट निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर सकता है?

(a) Section 133 / धारा 133
(b) Section 142 / धारा 142
(c) Section 144 / धारा 144
(d) Section 145 / धारा 145

Ans. [b]

Linked Provisions:-

1. **Section 94(C).-** Supplemental Proceedings.
2. **Section 37**- Temporary and perpetual injunctions. (SRA)
3. **Section 38**- Perpetual injunction when granted.(SRA)
4. **Section 41**- Injunction when refused. (SRA)
5. **Section 291**- Continuance of nuisance after injunction to discontinue.(IPC)

Explanation:- Section 142- If a Magistrate making an order under section 133 considers that immediate measures should be taken to prevent imminent danger or injury of a serious kind to the public, he may issue such an injunction to the person against whom the order was made, as is required to obviate or prevent such danger or injury pending the Determination of the matter.

लिंकिंग प्रावधान:- लोक उपद्रव - (133-143)

1. **धारा 94(सी).-** पूरक कार्यवाही।
2. **धारा 37**- अस्थायी एवं शाश्वत निषेधाज्ञा। (एसआरए)
3. **धारा 38**- दिए जाने पर सतत निषेधाज्ञा (एसआरए)
4. **धारा 41**- मना करने पर निषेधाज्ञा। (एसआरए)
5. **धारा 291-** उपद्रव बंद करने के आदेश के बाद भी उपद्रव जारी रखना।(आईपीसी)

स्पष्टीकरण:- धारा 142- यदि धारा 133 के तहत आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट मानता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर प्रकार की चोट

को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को ऐसा निषेधाज्ञा जारी कर सकता है जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था। किया गया, जैसा कि मामले के निर्धारण तक ऐसे खतरे या चोट को टालने या रोकने के लिए आवश्यक है।

92. Under what Section of CrPC a Magistrate may direct local investigation? / crpc की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण का निर्देश दे सकता है?

(a) Section 139 / धारा 139
(b) Section 133 / धारा 133
(c) Section 145 / धारा 145
(d) Section 147 / धारा 147

Ans. [a]

Linked Provisions:-
1. **Expert - 45** IEA, 293 crpc.
2. **Local inquiry**-148
3. **Local jurisdiction-** 177
4. **Local inspection-** 310

Explanation:- Section 139- Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert. The Magistrate may, for the purposes of an inquiry under section 137 or section 138-
(a) direct a local investigation to be made by such person as he thinks fit; or
(b) summon and examine an expert.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **विशेषज्ञ** – 45 IEA, 293 crpc
2. **स्थानीय पूछताछ**-148
3. **स्थानीय क्षेत्राधिकार**- 177
4. **स्थानीय निरीक्षण**- 310

स्पष्टीकरण:- धारा 139- स्थानीय जांच और किसी विशेषज्ञ की अन्वेषण का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। मजिस्ट्रेट, धारा 137 या धारा 138 के तहत अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए-
(ए) ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण कराने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे; या
(बी) किसी विशेषज्ञ को बुलाना और उसकी अन्वेषण करना।

93. Who among the following may ask for security for keeping peace on conviction? / निम्नलिखित में से कौन दोषसिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा मांग सकता है?

(a) Sub-divisional Magistrate / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट
(b) District Magistrate / जिला मजिस्ट्रेट
(c) Executive Magistrate / कार्यकारी मजिस्ट्रेट
(d) First Class Judicial Magistrate / प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट

Ans. [d]

Linked Provisions:-
1. **Chapter 8-** security for keeping peace and good behaviour Section (106-124).
2. **Section 107**- Security for keeping the peace in other cases.
3. **Section 108**- Security for good behaviour from persons disseminating seditious matters.
4. **Section 109**- Security for good behaviour from suspected persons.
5. **Section 461**- Irregularities which vitiate proceedings (C,D)

Explanation:- Section 106 provides that a Court of sessions or a Magistrate of the First Class may, at the time of passing sentence on a person convicted of certain specified offences, order him to execute a bond for keeping the peace for any period not exceeding three years.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **अध्याय 8**- शांति एवं अच्छे आचरण हेतु सुरक्षा धारा (106-124).
2. **धारा 107**- अन्य मामलों में शांति बनाये रखने हेतु सुरक्षा।
3. **धारा 108**- देशद्रोही बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा।
4. **धारा 109-** संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा।
5. **धारा 461-** अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं (सी,डी).

स्पष्टीकरण: - धारा 106 में प्रावधान है कि सत्र न्यायालय या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, कुछ निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को सजा सुनाते समय, उसे किसी भी अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है। तीन साल।

94. What is the maximum period, under Section 110 of CrPC, for furnishing security prescribed for keeping good behaviour? / सीआरपीसी की धारा 110 के तहत, अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने की अधिकतम अवधि क्या है?

(a) 6 months /6 महीने
(b) 1 year /1 वर्ष
(c) 2 years/2 वर्ष
(d) 3 years /3 वर्ष

Ans. [d]

Linked Provisions:- Chapter 8- security for keeping peace and good behaviour Section (106-124).
1. **section 106**- Security for keeping the peace on conviction.
2. **Section 107-** Security for keeping the peace in other cases.
3. **Section 108**- Security for good behaviour from persons disseminating seditious matters.
4. **Section 109**- Security for good behaviour from suspected persons.
5. **Section 461**- Irregularities which vitiate proceedings (C,D)

Explanation:- Section 110- Security for good behaviour from habitual offenders- Magistrate may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, with sureties, for his good behaviour for such period, not exceeding three years, as the Magistrate thinks fit.

लिंकिंग प्रावधान:- अध्याय 8- शांति और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा धारा (106-124)।
1. **धारा 106**- दोषसिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा।

Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

2. **धारा 107**- अन्य मामलों में शांति बनाये रखने हेतु सुरक्षा।
3. **धारा 108**- देशद्रोही बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा।
4. **धारा 109-** संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा।
4. **धारा 461**- अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं (सी,डी).

स्पष्टीकरण: - धारा 110 - आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा - मजिस्ट्रेट, इसके बाद प्रदान किए गए तरीके से, ऐसे व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे इतनी अवधि के लिए अपने अच्छे व्यवहार के लिए जमानतदारों के साथ एक बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। , तीन वर्ष से अधिक नहीं, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे।

95. A confession made under Section 164 of the Criminal Procedure Code of 1973 can be recorded by a Magistrate, during course of /दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत की गई स्वीकारोक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है।

(a) a trial / एक विचारण
(b) an investigation / एक अन्वेषण
(c) a trial or an investigation / एक विचारण या एक अन्वेषण
(d) investigation, but before the commencement of inquiry or trial /अन्वेषण , लेकिन जांच या विचारण शुरू होने से पहले

Ans. [d]

Linked Provisions:-
Section 281- Record of examination of accused.
Explanation:- Recording of confessions and statements- (1) Any Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this Chapter or under any other law for the time being in force, or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial.

लिंकिंग प्रावधान:-
धारा 281- अभियुक्त के विचारण का अभिलेख।
स्पष्टीकरण:- स्वीकारोक्ति और कथनों की रिकॉर्डिंग- (1) कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसके पास मामले में अधिकार क्षेत्र हो या नहीं, इस अध्याय के तहत या किसी के तहत अन्वेषण के दौरान उससे की गई किसी भी स्वीकारोक्ति या कथनो को रिकॉर्ड कर सकता है। किसी अन्य कानून को फिलहाल लागू होने पर, या उसके बाद किसी भी समय अन्वेषण या विचारण शुरू होने से पहले।

96. Trial commences in warrant cases Instituted on police report /. पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित वारंट मामलों में सुनवाई शुरू होती है

(a) with the issuance of process against accused person / अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के साथ
(b) with the submission of police report / पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ
(c) on the framing of formal charge / औपचारिक आरोप तय करने पर
(d) on the appearance of the accused in obedience to the process issued by the court / न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया के पालन में अभियुक्त के उपस्थित होने पर

Ans. [c]

Linked Provisions:- Chapter 19
Trial of warrant cases section(238- 250).
1. **Section 207-** Supply to the accused of copy of police report and other documents.
2. **Section 259**- Power of court to convert summons cases into warrant cases.
3. **Section 275**- Record in warrant cases.

Explanation:- Section 240- If, upon such consideration examination, if any, and hearing, the Magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this Chapter, which such Magistrate is competent to try and which, in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charged against the accused.

लिंकिंग प्रावधान:-अध्याय 19
वारंट मामलों का विचारण धारा(238-250).
1. **धारा 207-** अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट की प्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रदान करना।
2. **धारा 259**- समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति।
3. **धारा 275**- वारंट मामलों में अभिलेख।

स्पष्टीकरण: - धारा 240- यदि, इस तरह के विचार-परीक्षण, यदि कोई हो, और सुनवाई पर, मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट आज़माने के लिए सक्षम है और जिसके लिए, उसकी राय में, उसे पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप लगाएगा।

97. Which of the following statements need not be signed by the maker? / निम्नलिखित में से किस कथन पर निर्माता द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है?

(a) Statement under Section 313 of Cr.P.C. / सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कथन ।
(b) Statement under Section 164 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कथन ।
(c) Statement under Section 161 of Cr.P.C. / सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कथन ।
(d) Statement (Confession) by accused under Section 164 of Cr.P.C. / सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आरोपी द्वारा कथन (स्वीकारोक्ति)।

Ans. [*]

98. Under which Section of law, Magistrate has power to issue 'commission' for examination of witness in prison? / कानून की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट से जेल में गवाहों से पूछताछ के लिए 'कमीशन' जारी करने की शक्ति है?

(a) Section 270/ धारा 270

(b) Section 271/ धारा 271
(c) Section 272 / धारा 272
(d) Section 273 / धारा 273

Ans. [b]

Linked Provisions:-
1. **Chapter 22** (266-271)
2. **Order 16 A** Rule 7 .CPC
3. **Section 284-** When attendance of witness may be dispensed with and commission issued.
4. **Section 285**- Commission to whom to be issued.
5. **Section 287**- Parties may examine witnesses.

Explanation:-Power to issue 'commission' for examination of witness in prison- The provisions of this Chapter shall be without prejudice to the power of the Court to issue, under section 284, a commission for the examination, as a witness, of any person confined or detained in a prison; and the provisions of Part B of Chapter XXIII shall apply in relation to the examination on commission of any such person in the prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **अध्याय 22** (266-271)
2. **आदेश 16 ए** नियम 7 .cpc
3. **धारा 284**- गवाह की उपस्थिति कब समाप्त की जा सकती है और कमीशन जारी किया जा सकता है।
4. **धारा 285**- कमीशन किसे जारी किया जाए।
5. **धारा 287**- पक्षकार गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण: -जेल में गवाह की परीक्षा के लिए 'कमीशन' जारी करने की शक्ति- इस अध्याय के प्रावधान, **धारा 284** के तहत, किसी के साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए एक आयोग जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे। जेल में बंद या निरुद्ध व्यक्ति; और अध्याय XXIII के भाग बी के प्रावधान जेल में ऐसे किसी भी व्यक्ति के कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति के कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं।

99. Under which Section of law the court has provision to direct tender of pardon to the accused before pronouncement of Judgment? / कानून की किस धारा के तहत न्यायालय को निर्णय सुनाने से पहले आरोपी को क्षमादान देने का निर्देश देने का प्रावधान है?

(a) Section 306 / धारा 306
(b) Section 307 / धारा 307
(c) Section 301 / धारा 301
(d) Section 310 / धारा 310

Ans. [b]

Linked Provisions:-
1. **Section 306-** Tender of pardon to accomplice.
2. **Article 72** – Power of President to grant pardons etc.
3. **Article 161**- Power of Governor to grant pardons etc.

Explanation:- Section 307- Power to direct tender of pardon- At any time after commitment of a case but before judgment is passed, the Court to which the commitment is made may, with a view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, any such offence, tender a pardon on the same condition to such person.

लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 306-** सह-अपराधी को क्षमादान देना।
2. **अनुच्छेद 72**-क्षमा आदि देने की राष्ट्रपति की शक्ति।
3. **अनुच्छेद 161**- क्षमा आदि देने की राज्यपाल की शक्ति।

स्पष्टीकरण:- धारा 307- क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति- किसी मामले की प्रतिबद्धता के बाद किसी भी समय लेकिन निर्णय पारित होने से पहले, जिस न्यायालय को प्रतिबद्धता दी गई है, वह मुकदमे में किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से कर सकता है। यदि ऐसा माना जाता है कि वह ऐसे किसी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है, या उसकी जानकारी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा प्रदान करें।

100. If question asked to witness to any matter relevant to the matter in issue and the answer given by witness to such question will criminate him, then/ यदि सुसंगत मामले से संबंधित किसी मामले के साक्षी से प्रश्न पूछा जाता है और गवाह द्वारा ऐसे प्रश्न का दिया गया उत्तर उसे दोषी ठहराएगा, तो

(a) the witness shall be compelled to answer such question / साक्षी को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाएगा
(b) the witness shall not be compelled to answer such question / साक्षी को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
(c) court may presume / न्यायालय अनुमान लगा सकती है
(d) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Ans. [a]

Explanation:- Section 132- Witness not excused from answering on ground that answer will criminate.—A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding, upon the ground that the answer to such question will criminate.
(Provided that no such answer, which a witness shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence by such answer.)

स्पष्टीकरण:- धारा 132- साक्षी को इस आधार पर उत्तर देने से क्षमा नहीं किया जाएगा कि उत्तर अपराध करेगा। - किसी वाद में या किसी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही में सुसंगत मामले से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से साक्षी को क्षमा नहीं किया जाएगा। इस आधार पर कि ऐसे प्रश्न का उत्तर अपराध सिद्ध करेगा।(बशर्ते कि ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए किसी साक्षी को बाध्य किया जाएगा, उसे किसी भी गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं किया जाएगा, या उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक कार्यवाही में साबित नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे उत्तर द्वारा गलत साक्ष्य देने के अभियोजन के।)